UPME010117452016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (V.B.U.P.S.E.B.) अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार – I, (एच०जे०एस०) I.D. No. UP–6395

दाण्डिक वाद संख्या–28/250/2016

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता पुत्र श्री जयप्रकाश, निवासी शंकरपुरी थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर सम्प्रति लेखपाल तहसील व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

-----अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–363/2016
अन्तर्गत धारा–7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2)
भ्रष्टाचार निवारण अधि० 1988
थाना–नकुड़, जिला–सहारनपुर।

उपस्थित–
अभियोजन पक्ष की ओर सेः– श्री डॉ० संजीव कुमार गुप्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त की ओर सेः– श्री देवकी नन्दन शर्मा व श्री रघुनन्दन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय

1– अभियुक्त श्री निर्मल कुमार गुप्ता के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या–363/2016, अन्तर्गत धारा–7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना–नकुड़, जिला–सहारनपुर के दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु यह विचारण मामले के विवेचक कुंवरपाल सिंह, निरीक्षक/विवेचक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मेरठ के द्वारा विवेचना उपरान्त प्रेषित आरोप पत्र संख्या– 8/2016 दिनांक 25.10.2016, पर इस न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के आधार पर संस्थित हुआ है।

2– संक्षेप में अभियोजन के अनुसार कुंवरपाल सिंह, निरीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान मेरठ, सेक्टर मेरठ के द्वारा फर्द वाक्यात गिरफ्तारी व बरामदगी रिश्वती ट्रीटेड नोट कुल 5,000/–रुपये जिनमें 1,000–1,000 रुपये के 5 नोट तथा गिरफ्तारी अभियुक्त सम्बन्धी तहरीर फर्द प्रदर्श क–2 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करायी गयी किः–

मोहम्मद इखलाक पुत्र मोहम्मद वुफौल अहमद, निवासी ग्राम जगैता नजीब तहसील, नकड़ थाना सरसावा, जिला सहारनपुर ने दिनांक 05.08.2016 को कार्यालय भ्रष्टाचार निवारण संगठन पुलिस उपाधीक्षक मेरठ में उपस्थित आकर दिनांक 05.08.2016 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार, भ्र०नि०सं० मेरठ में उपस्थित आकर प्रस्तुत किया

कि उसकी करीब तीन बीघा कृषि भूमि सहारनपुर में NH–73 बाईपास चौड़ी करण के निर्माण हेतु अधिकृत की गई है। उसके क्षेत्र के लेखपाल श्री निर्मल कुमार तहसील नकुड़ ने केवल 419.68 मीटर भूमि का मुआवजा दिलाने की रिपोर्ट दी थी। शिकायतकर्ता ने अपनी तीन बीघा कृषि भूमि का मुआवजा लेने हेतु दिनांक 19.07.2016 को एक प्रार्थना पत्र तहसील नकुड़ को दिया था। तहसील अधिकारी ने दिनांक 19.07.2016 को Ri/Lekh को आदेश किया। इसके बाद शिकायतकर्ता लेखपाल निर्मल कुमार से अपनी रिपोर्ट लगाने हेतु मिले, तो लेखपाल निर्मल कुमार ने रिपोर्ट लगाने हेतु दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 04.08.2016 को वह व उसके गांव के पास के उसके मित्र नरेश कुमार, लेखपाल निर्मल कुमार बाँदूखेड़ी उसके कमरे पर मिले। अपनी रिपोर्ट ठीक लगवाने का अनुरोध किया तो लेखपाल ने कहा कि दिनांक 06.08.2016 को थाना नकुड़ पर थाना दिवस है, आप पांच हजार रुपये दिनांक 06.08.2016 को रिश्वत के लेकर आ जाना। शेष पांच हजार रुपये रिपोर्ट लगाने के बाद दे देना। शिकायतकर्ता ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि पांच हजार रुपये में रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। दिनांक 06.08.2016 को रुबरू गवाहान सर्व नरेश कुमार वित्त लिपिक अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कार्यालय कलैक्ट्रेट सहारनपुर, दिनेश चन्द मिश्रा पेशकार नगर मजिस्ट्रेट जिला सहारनपुर, निरीक्षक जितेन्द्रपाल सिंह निरीक्षक विजयवीर सिंह, निरीक्षक उदयवीर सिंह, ASI (M) अरविन्द सिंह, HCP वसीम अख्तर, हैड कां० आनन्द स्वरूप शर्मा, हैड कां० शारदा सिरोही के समक्ष मुझ प्रभारी निरीक्षक ट्रैक टीम ने शिकायतकर्ता इखलाक पुत्र मौ० तुफैल अहमद निवासी ग्राम जगैता नजीब थाना सरसावा जिला सहारनपुर से रिश्वत में दिये जाने वाले पांच हजार रुपए एक–एक हजार के पांच नोट भारतीय मुद्रा के अपने कब्जे में लिये उनके नंबर क्रमशः 1AQ194479, 1CD850869, 9BB947628, 5C792679, 6CE470114 तक है। उक्त सभी नोटों को टीम के सदस्य HCP वसीम अख्तर से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर ट्रीट कराया गया। ट्रीट करने के बाद उक्त रिश्वती ट्रीटेड पांच हजार रुपए शिकायतकर्ता को इस हिदायत के साथ सुपुर्द किये कि इन्हीं नोटो को लेखपाल निर्माल कुमार के मांगने पर इन्हीं नोटो को दें, तब तक अपने पास सुरक्षित रखे। शिकायतकर्ता ने ट्रीटेड नोट कागज में रखकर अपने पास रख लिये। वसीम अख्तर व शिकायतकर्ता के हाथ अलग अलग सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाए गये, तो दोनों के हाथों में धोबन का रंग गुलाबी हो गया। धोबन रंग गुलाबी को अलग–अलग शीशीयों में भरकर सीलसर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर लिया गया। फर्द ट्रीट की कापी कलैक्ट्रेट सहारनपुर में गिरसी में बैठकर फर्द द्वारा मैंने टीम के सदस्य हैड कां० आनन्द स्वरूप शर्मा से बोल–बोलकर लिखवायी है। शिकायतकर्ता से बातचीत कर उसका कथन अंकित किया। अपने कथन में प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि की दिनांक 05.08.2016 को शिकायत प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक जितेन्द्र पाल सिंह भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मेरठ को प्रीट्रैप जांच आख्या प्रस्तुत करने का आदेश किया। श्री जितेन्द्र पाल सिंह निरीक्षक ने प्रीट्रैप जांच कर आख्या दी कि श्री इकलाख पुत्र तुफैल अहमद, निवासी ग्राम जगैता नजीब तहसील नकुड़ सहारनपुर की कृषि भूमि NH73 बाईपास के चोड़ी करण में सम्मिलित की गयी है, जिसका मुआवजा शिकायतकर्ता को मिलना है। क्षेत्र के लेखपाल श्री निर्मल कुमार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। प्रीट्रैप गोपनीय जांच से पाया कि लेखपाल निर्मल कुमार एक भ्रष्ट लोक सेवक है, जिसकी आय सोहरत रिश्वत लेकर काम करने की है। शिकायतकर्ता व उसके साथी नरेश कुमार को इस हिदायत के साथ वापस सहारनपुर भेज दिया कि कल दिनांक 06.08.2016 को जिलाधिकारी सहारनपपुर के आवास पर दस बजे के आसपास आ जाना। मुझ निरीक्षक ने कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को प्रातः सात बजे कार्यालय उपस्थित आने को अवगत कराया। आज दिनांक 06.08.2016 को मैं प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार राणा कार्यालय भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ सात बजे उपस्थित आये। सभी

अधिकारी/कर्मचारी मौजूद मिले। निरीक्षक जितेन्द्र पाल सिंह भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ निरीक्षक विजयवीर सिंह, निरीक्षक उदयवीर सिंह, ए.एस.आई(एम) अरविन्द सिंह मुख्य आरक्षी एचसीपी० वसीम अख्तर, हैड कांस्टेबल आनन्द स्वरूप शर्मा, हैड कांस्टेबल शारदा सिरोही एवं आरक्षी चालक प्रमोद कुमार को हमराह लेकर ट्रैप टीम का गठन कर सरकारी जिप्सी सं० यू.पी. 42 ए.जी. 0343 एवं ट्रैप से संबंधित आवश्यक सामग्री लेकर कार्यालय से प्रस्थान कर जिलाधिकारी सहारनपुर के आवास पर आया। ट्रैप टीम में सरकारी जिप्सी के अलावा वह स्वयं अपनी शिफ्ट डिजायर कार संख्या डी.एल.–2 सी.ए.के–8795 भी लेकर आये है। शिकायतकर्ता तथा उसका मित्र नरेश कुमार जिलाधिकारी सहारनपुर के आवास पर मौजूद मिले। जिलाधिकारी सहारनपुर से दो स्वतंत्र गवाह लेने का अनुरोध किया, तो श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर ने नरेश कुमार वित्त लिपिक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कलैक्ट्रेट सहारनपुर एवं दिनेशचन्द मिश्रा पेशकार नगर मजिस्ट्रेट जिला सहारनपुर को आदेशित किया। स्वतंत्र गवाह, ट्रैप टीम व शिकायतकर्ता की आपस में बातचीत करायी। कलैक्ट्रेट परिसर में सरकारी जिप्सी में बैठकर शिकायतकर्ता से रिश्वत में दिये जाने वाले पांच हजार रुपए अपने एक–एक हजार के पांच नोट अपने कब्जे में लिये जिनके नंबर क्रमशः 1AQ194479, 1CD850869, 9BB947628, 5CQ792679, 6CE470114 तक है। उक्त पांच हजार रुपयों को टीम के सदस्य HCP वसीम के द्वारा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर ट्रीट करवाया गया, ट्रीट रिश्वती पांच हजार रुपयों को शिकायतकर्ता को इस हिदायत के साथ सुपुर्द किये कि इन्हीं नोटो को रिश्वत मांगने पर लेखपाल निर्मल कुमार को देना, एच.सी.पी. वसीम अख्तर एवं शिकायतकर्ता इखलाक के दोनों के हाथ अलग–अलग सोडियम कार्बोनेट के घोल में घुलवाये, तो दोनों के हाथों के धोबन का रंग गुलाबी हो गया। दोनों के हाथों के धोबन रंग गुलाबी को अलग–अलग शीशियों में भरकर सीलसर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनायी गयी। फर्द ट्रीट मैंने बोल–बोलकर हैड कांस्टेबल आनन्द स्वरूप शर्मा से लिखवाई। गवाही गवाहान करायी गयी, इसके बाद ट्रीटिड मय निरीक्षक उदयवीर सिंह संपूर्ण टीम स्वतंत्र गवाही के साथ शिकायतकर्ता के बताये अनुसार थाना नकुड़ को रवाना हुआ। थाना नकुड़ से पहले सरकारी एवं स्वयं की कार को सड़क पर आड़ में खड़ी कर प्रभारी एवं शिकायतकर्ता समस्त ट्रैप टीम की आपसी जामा तलाशी ले देकर हित में नाम किया कि केवल शिकायतकर्ता के पास ट्रीटेड ₹5000 तथा मेरे पास ट्रैप सामान के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है शिकायतकर्ता व उसका मित्र आगे आगे चलकर थाना नकुड़ गेट पर आए, शिकायतकर्ता व उसका मित्र दोनों अंदर गए और वे लोग थाने के गेट के सामने सड़क पर अपनी पहचान छुपाने लग गए, कुछ देर में शिकायतकर्ता उसका मित्र वह एक व्यक्ति एक साथ थाने के गेट पर आए तो शिकायतकर्ता ने इशारे से बताया कि यही लेखपाल है जो की शिकायतकर्ता है रिश्वत लेगा। शिकायतकर्ता व उसका मित्र तथा अन्य सदस्य थाने के गेट के सामने सड़क पार करके पास खड़े हो गए। वे लोग भी सड़क के पास खड़े हो गए। शिकायतकर्ता ने आगंतुक से अपनी कृषि भूमि जो NH73 बाईपास के चौड़ीकरण में आई है मुआवजा दिलवाने की रिपोर्ट लगवाने का अनुरोध किया तो आगंतुक ने कहा कि वायदे के अनुसार ₹5000 रिश्वत के लाए हो, शिकायतकर्ता ने ट्रीटेड के ₹5000 आगन्तुक को दिया। आगन्तुक रिश्वत के ट्रीटेड नोट लेकर गिनने लगा तो प्रभारी निरीक्षक एवं ट्रैप टीम को विश्वास हो गया कि आगन्तुक ने रिश्वत ली है एक दम दबिश देकर समक्ष गवाहन के समय करीब 12:45 बजे दिन खोके के सामने पकड़ लिया। अपना परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो आगन्तुक ने अपना नाम निर्मल कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी शंकरपुरी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर सम्प्रति लेखपाल, तहसील नकुड़, सहारनपुर बताया, के हाथों से ₹5000 ट्रीटेड रिश्वति नोट बरामद किए। रिश्वत बरामद 1000 के 5 नोटों के नंबरों का मिलान फर्द ट्रीट से किया तो मुरविक फर्द ट्रीट के पाए गए। रिश्वती नोटों के अलावा जामा तलाशी से एक मोबाइल फोन लावा

कंपनी का सिम नंबर 8923028282 दूसरा सिम नंबर 9358283867 है, एक काले रंग का पर्स जिसमें 5410 नकद, एक लाल रंग का छोटा पंखा, बरामद हुई गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त ने माफी चाही कहा साहब गलती हो गई। अभियुक्त निर्मल कुमार से रिश्वती ट्रीटेड ₹5,000/– बरामद करने के बाद अभियुक्त व स्वयं तथा शिकायतकर्ता के हाथ अलग –अलग सोडियम कारबोनेट के घोल में बुलवाए तो तीनों के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया। हाथों के धोवन रंग गुलाबी को अलग–अलग शीशियों में भरकर सील सर्वे मोरहर कर चिटबंदी की गई, नमूना मोर बनाया गया बरामद नोटो के एक सिरे पर सफेद कागज लगाकर सील कर सील सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर किया गया। अभियुक्त को उसके गिरफ्तारी के अपराध से अवगत कराया कि आपके द्वारा रिश्वत के ₹5000 रुपये ट्रीटेड बरामद हुए हैं जो जुर्म धारा 7/13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध किया है। अभियुक्त निर्मल कुमार लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना उसके कहने पर उसके पुत्र सुशांत गुप्ता के फोन नंबर 9058794512 पर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदेश निर्देशों का अक्षर से पालन किया गया अभी को गिरफ्तार करने के बाद समस्त लिखा पड़ी भीडभद्र को देखते हुए थाना नागपुर में की गई। अभियुक्त एवं बरामदा माल, ट्रैप टीम को लेकर थाना नकुड़ मेरठ में अभियोग पंजीकृत कराया जाना तथा विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन से होना इस फर्द में अंकित किया गया है।

3– वादी अशोक कुमार राणा, निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उक्त फर्द बरामदगी तथा गिरफ्तारी तहरीर के आधार पर अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता लेखपाल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट, मु०अ०सं०–363/2016, अन्तर्गत धारा 7/13,(1) डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दिनांक 06.08.2016 को थाना नकुड़, जिला सहारनपुर पर **प्रदर्श क–3** पंजीकृत की गयी।

4– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें नियमानुसार प्रदान की गयी। अभियुक्त के विरूद्व विद्वान पूर्वाधिकारी श्री अब्दुल शाहिद के द्वारा दिनांक 24.03.2017 को **अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988** से दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिनसे उसने इन्कार करते हुए परीक्षण की मांग की जिस पर पत्रावली अभियोजन के साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

5– अभियोजन की ओर से अपने मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० –1 मौ० इखलाक, पी०डब्लू०–2 दिनेश चन्द्र मिश्रा, पी०डब्लू०–3 नरेश कुमार, पी०डब्लू०–4 अशोक राणा, पी०डब्लू०–5 नरेश कुमार पुत्र श्री दल सिंह, पी०डब्लू०–6 हे०कॉ० डोली, पी०डब्लू०–7 शमशाद हुसैन व पी०डब्लू० 8 कुंवरपाल सिंह निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इसके उपरान्त अभियोजन द्वारा पत्रावली पर अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के पृष्ठांकन किया तथा साक्ष्य पूर्ण होने का कथन किये जाने पर अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा न्यायालय द्वारा पत्रावली अभियुक्त के कथन **धारा 313 दं०प्र०सं०** हेतु नियत की गयी।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया तथा साबित कराया गयाः–

क्रम संख्या	अभिलेख	साक्षी	प्रदर्श
1.	तहरीर	पी०डब्लू० 1	प्रदर्श क-1

2.	फर्द सुपुर्दगीनामा व ट्रीटेड नोट	पी०डब्लू० 1	प्रदर्श क-2
3.	फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी	पी०डब्लू० 1	प्रदर्श क-3
4.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच आख्या	पी०डब्लू० 2	प्रदर्श क-4
5.	शिकायतकर्ता के बयान	पी०डब्लू० 4	प्रदर्श क-5
6.	पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रैप टीम के गठन का आदेश	पी०डब्लू० 4	प्रदर्श क-6
7.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क-7
8.	जी०डी० की छाया प्रति	पी०डब्लू० 6	प्रदर्श क-8
9.	अभियोजन स्वीकृति आदेश	पी०डब्लू० 7	प्रदर्श क-9
10.	पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना अनुमोदन	पी०डब्लू० 8	प्रदर्श क-10
11.	घटनास्थल/नक्शा नजरी	पी०डब्लू० 8	प्रदर्श क-11
12.	फर्द रवाना तलाशी अभियुक्त	पी०डब्लू० 8	प्रदर्श क-12
13.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या	पी०डब्लू० 8	प्रदर्श क-13
14.	आरोप पत्र	पी०डब्लू० 8	प्रदर्श क-14

7– अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य में फैरिस्त के माध्यम से निम्न कागजात दाखिल किये गये है–

1) एक किता नकल खतौनी ग्राम जगहता नजीब 1419 फसली से 1424 फसली खसरा सं0–497 रकबई 20.280 वर्ग मीटर दिनांक 08 अगस्त 2016,

2) एक किता शपथ पत्र मौ० इकलाख 20.02.2016/24.05.2016 जो पत्रावली के साथ एस०एल०ओ० (विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर) ऑफिस में मय प्रार्थना पत्र/नकल खतौनी/शपथ पत्र/हिस्सा प्रमाण पत्र सहित वास्ते मुआवजा प्राप्त करने हेतु दिया गया।

3) एक किता

(अ) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर को दिनांक 25.05.2016 को मौ० इखलाक की भेजी गई आख्या की प्रमाणित प्रति 4277×1990/20280 419.68 वर्ग मीटर।

(ब) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर को दिनांक 25.05.2016 को सुरेन्द्र सिंह पुत्र समय सिंह निवासी – टोली की भेजी गयी आख्या की प्रमाणित प्रति 4277×8200/20280 1729.36 वर्ग मीटर।

(स) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर को दिनांक 10.06.2016 को रईस पुत्र रसीद निवासी– चुनहटी गाडा की भेजी गई आख्या की प्रमाणित छायाप्रति 4277×2730/20280 = 575.75 वर्ग मीटर।

(द) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर को दिनांक 13.06.2016 को मौ० अशफाक पुत्र तुफैल अहमद निवासी– जगहता नजीब की भेजी गई आख्या की प्रमाणित छायाप्रति। 4277×5390/20280 1136.74 वर्ग मीटर।

(र) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर को दिनांक 17.06.2016 को मौ० आरिफ पुत्र मौ० शफी निवासी– जगहता नजीब की भेजी गई आख्या की प्रमाणित छायाप्रति 4277×1970/20280 = 415.47 वर्ग मीटर।

4) एक किता न्यायालय एवं कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर इखलाक बनाम सरकार ग्राम जगहता नजीब, तहसील नकुड़, सहारनपुर में आपत्ति व खिलाफ मुआवजा बनाये जाने तथा उनकी डिलीवरी के खिलाफ मौ० इखलाक पुत्र तुफैल अहमद द्वारा दिनांक 30.06.2016 को दाखिल की गयी।

5) एक किता कार्यालय जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार नकुड़ पत्रांक– 269 दिनांक 25.10.2016 को इखलाक द्वारा दिये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति एवं भेजी गयी आख्या दिनांक 01.08.2016 व रा०नि० की आख्या दिनांक 02.08.2016 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त की गयी।

6) एक किता न्यायालय श्रीमान/कार्यालय विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी महोदय सहारनपुर वाद सं०– /2016 इखलाक बनाम सरकार स्थित वाक्य ग्राम जगहता नजीब तहसील नकुड़ शपथ पत्र ओर से नरेश पुत्र दल सिंह निवासी – ग्राम बिजनाखेडी, तहसील नकुड़ दिनांक 04.11.2016 को प्रस्तुत किया गया।

7) एक किता समक्षः– श्रीमान प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (स०स०) सहारनपुर वाद सं०–' / 2016 साक्ष्य शपथ पत्र ओर से अशफाक पुत्र तुफैल निवासी – ग्राम जगहता नजीब दिनांक 09.11.2016 को प्रस्तुत किया गया।

8) एक किता श्रीमान सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (स०स०) सहारनपुर प्रार्थना पत्र सं०– / 2016 प्रतिकर वितरण ग्राम जगहता नजीब तहसील नकुड़ जबाव आपत्ति ओर से आरिफ पुत्र शफीक व असफाक पुत्र तुफैल निवासी – जगहता नजीब व रईस पुत्र रसीद निवासी– चुनहटी गाडा व खिलाफ आपत्ति इखलाक पुत्र तुफैल अहमद द्वारा दिनांक 24.10.2016 को प्रस्तुत की गयी।

9) एक किता कार्यालय अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर पत्रांक 586/आठ/वि०भू०अ० (सं०सं०) सहारनपुर दिनांक 16. 12.2016 विषयः– भा० रा० रा० (एन०एच० 73) सहारनपुर बाईपास परियोजना से सम्बन्धित ग्राम जगहता नजीब तहसील नकुड़ के प्रभावित भू–स्वामी के अर्जित खसरा सं०– 497 से अर्जित रकबा 4277 वर्ग मीटर में हिस्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

10) एक किता न्यायालय सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी सहारनपुर पंत्राक 1836 / आठ/ वि०भू०अ० (सं०सं०) सहारनपुर दिनांक 02.03.2017 को सम्बन्धित कृषको को प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश।

11) एक किता प्रा पत्र 11 व परियोजना का नाम :– जनपद सहारनपुर में भा०रा०रा० सं०– 73 एवं अभिनिर्णय का दिनांक।

12) एक किता कार्यालय जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार नकुड़ जनपद सहारनपुर पत्रांक 301 दिनांक 18 जनवरी 2024 कमें जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त की गयी कि लेखपाल क्षेत्र जगहता नजीब तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर के ग्राम बान्दूखेडी में लेखपाल कक्ष/कार्यालय निर्मित नही है।

13) एक किता न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) हवाली सहारनपुर मूलवाद सं०– सन ! 2023 मौ० इखलाक बनाम नरेश कुमार आदि डिग्री मनसूकी बैनामा दिनांक 21.03.2016 विवर्णित जिसकी रजि० बही सं०– 1, जिल्द सं0– 7523 पृष्ट 75 से 116 पर कमाक 4257 पर दिनांक 21.03.2016 उपनिबन्धक नकुड़ के यहां हुई।

8– मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

9– किसी आपराधिक प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप में तभी दण्डादिष्ट किया जा सकता है जब अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष, प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से सन्देह की युक्तियुक्त सीमा से परे साबित करने में सफल हो तथा अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल हो कि घटना उसी प्रकार से घटित हुयी जिस प्रकार से कही गयी है। सन्देह चाहें कितना भी गहरा हो, वह सिद्धि का स्थान नहीं ले सकता। आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त के निर्दोष होने की परिकल्पना की जाती है जब तक कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित न कर दे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्यों को भी अभियोजन पक्ष को उसी प्रकार युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना आवश्यक होता है जैसा कि सामान्य आपराधिक प्रकरणों में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण के तथ्यों को युक्तियुक्त सन्देह की प्रत्येक सीमा से परे साबित किया जाता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा A. Subair Vs State of Kerala 2009 (6) SCC 587** में यह मताभिव्यक्ति की है कि "It needs no emphasis that the prosecution has to prove the charge beyond reasonable doubt like any other criminal offence and the accused should be considered innocent till it is established otherwise by proper proof of demand and acceptance of the illegal gratification, the vital ingredient, necessary to be established to procure a conviction for the offenses under consideration."

10– प्रकरण में अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 06–08–2016 को समय करीब 12.45 बजे स्थान थाना नकुड़ के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर खोखे के पास अर्न्तगत थाना नकुड़, जिला सहारनपुर में अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता लोक सेवक/लेखपाल के पद पर तैनात रहते हुए शिकायतकर्ता इखलाक से उसकी कृषि भूमि जो एन०एच० 73 बाईपास के चौड़ीकरण में आयी है, पर मुआवजा दिलवाने की रिपोर्ट लगाने की एवज में शिकायतकर्ता से पांच हजार रूपये उत्कोच के रूप में मांग कर प्राप्त किये जो ट्रेप–टीम द्वारा पकड़े जाने पर वही पांच हजार रूपये अभियुक्त से बरामद हुए। इस प्रकार अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता एक लोक सेवक के पद पर रहते हुए शिकायतकर्ता के वैध कार्य के बदले उत्कोच प्राप्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता इखलाक से स्वंय को अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से अंकन पांच हजार रुपये उत्कोच मांग कर प्राप्त किये। और इस प्रकार अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता ने आपराधिक अवचार का अपराध किया।

11. विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला उनकी ओर से पेश किये गये मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह साबित है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा मूल तहरीर शिकायतकर्ता, फर्द ट्रीट व प्रदर्शन, फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्त निर्मल गुप्ता, ट्रैप हेतु टीम गठित किये जाने के सुसंगत आदेश, अभियोजन स्वीकृति व अन्य अभियोजन प्रपत्रों व माल मुकदमाती को न्यायालय के समक्ष पर्याप्त रूप से साबित किया है। दोनो स्वतंत्र गवाहान पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के पक्षद्रोही होने से अभियोजन मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है क्योकि अभियोजन कथानक को गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार व वादी मुकदमा/गवाह पी०डब्लू० 4 निरीक्षक अशोक राणा द्वारा पर्याप्त रूप से साबित किया है जिसके आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 7 एवं धारा 13 भ्र०नि० अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए निर्णय विधि **ए० सुबैर बनाम स्टेट आफ केरल 2009 (67) ए०सी० सी० 892** में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि–

"7. The essential ingredients of Section 7 are: (i) that the person accepting the gratification should be A public servant; (ii) that he should accept the gratification for himself and the gratification should be as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official function, favour or disfavour to any person.

8. Insofar as Section 13 (1)(d) of the Act is concerned, its essential ingredients are: (i) that he should have been a public servant; (ii) that he should have used corrupt or illegal means or otherwise. abused his position as such public servant and (iii) that he should have obtained a valuable thing or pecuniary advantage for himself or for any other person."

"10.The legal position is no more res integra that primary requisite of an offence under Section 13(1)(d) of the Act is proof of a demand or request of a valuable thing or pecuniary advantage from the public servant. In other words, in the absence of proof of demand or request from the public servant for a valuable thing or pecuniary advantage, the offence under Section 13(1)(d) cannot be held to be established."

इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13 के अधीन आरोपों को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष के दायित्व को रेखांकित करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए० सुबैर बनाम स्टेट आफ केरल 2009 (67) ए०सी० सी० 892 एवं एम०के० हर्षन बनाम स्टेट ऑफ केरल 1996 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रि०) 720** में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा–7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरोपों में अभियुक्त की दोष सिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को इन तथ्यों को सिद्ध करना ही होगा कि लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु अभियुक्त ने वैध पारिश्रमिक से भिन्न ईनाम अथवा पारितोषण की मांग की हो और फिर उसे स्वेच्छा से प्राप्त किया हो। इसी प्रकार धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आरापों की अभिपुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया जाना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुये भ्रष्ट एवं अवैध संसाधनों से अपने लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु अथवा धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त किया हो। माननीय न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुचित पारितोषण की मांग करना एवं उसे स्वेच्छया से प्राप्त करना अधिनियम के अधीन धारा 7 में वर्णित आरोपों की पुष्टि हेतु अनिवार्य है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के आरोपों को सिद्ध करने हेतु लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु अथवा आर्थिक लाभ की मांग करना अथवा उसके लिये अनुरोध करना एवं भ्रष्ट तरीके से उसे प्राप्त किया जाना साक्ष्य से स्थापित होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने निर्णय में यह व्यवस्था भी दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य यदि अपनी प्रकृति में गुणवान एवं विश्वसनीय नहीं है तब ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दोष सिद्धि का निर्णय पारित करना सुरक्षित एवं उचित न होगा। उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक के समर्थन

में प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

12. इसी प्रकार **Neeraj Dutta Vs State (Govt. of N.C.T. of Delhi) 2023 (4) SCC 731** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की **संविधान पीठ** ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 व 13 के सम्बंध में पारित पूर्व विधि निर्णयज जैसे **बी० जैराज बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2014(13) SCC 55, पी० सत्यनारायण मूर्ति बनाम डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ पुलिस AIR 2015 SC 3549, एम० नरसिंघा राव बनाम आंन्ध्र प्रदेश राज्य (2001)1 SCC 691, हजारी लाल बनाम दिल्ली राज्य (1980)2 SCC 390** आदि में दी गई विधिव्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए उक्त धाराओ की विषेशताओं को रेखांकित करते हुए यह मताभिव्यक्ति व निष्कर्ष दिया है कि–

> "(a) Proof of demand and acceptance of illegal gratification by a public servant as a fact in issue by the prosecution is a sine qua non in order to establish the guilt of the accused public servant under Sections 7 and 13 (1) (d) (i) and(ii) of the Act.
>
> (b) In order to bring home the guilt of the accused, the prosecution has to first prove the demand of illegal gratification and the subsequent acceptance as a matter of fact. This fact in issue can be proved either by direct evidence which can be in the nature of oral evidence or documentary evidence.
>
> (c) Further, the fact in issue, namely, the proof of demand and acceptance of illegal gratification can also be proved by circumstantial evidence in the absence of direct oral and documentary evidence.
>
> (d) In order to prove the fact in issue, namely, the demand and acceptance of illegal gratification by the public servant, the following aspects have to be borne in mind:
>
> (i) if there is an offer to pay by the bribe giver without there being any demand from the public servant and the latter simply accepts the offer and receives the illegal gratification, **it is a case of acceptance as per Section 7 of the Act.** In such a case, there need not be a prior demand by the public servant.
>
> (ii) On the other hand, if the public servant makes a demand and the bribe giver accepts the demand and tenders the demanded gratification which in turn is received by the public servant, **it is a case of obtainment. In the case of obtainment, the prior demand for illegal gratification emanates from the public servant. This is an offence under Section 13 (1)(d)(i) and (ii) of the Act.**
>
> (iii) In both cases of (i) and (ii) above, the offer by the bribe giver and the demand by the public servant respectively have to be proved by the prosecution as a fact in issue. In other words, mere acceptance or receipt of an illegal gratification without anything more would not make it an offence under Section 7 or Section 13 (1)(d), (i) and (ii) respectively of the Act.

Therefore, under Section 7 of the Act, in order to bring home the offence, there must be an offer which emanates from the bribe giver which is accepted by the public servant which would make it an offence. Similarly, a prior demand by the public servant when accepted by the bribe giver and inturn there is a payment made which is received by the public servant, would be an offence of obtainment under Section 13 (1)(d) and (i) and (ii) of the Act.

(e) The presumption of fact with regard to the demand and acceptance or obtainment of an illegal gratification may be made by a court of law by way of an inference only when the foundational facts have been proved by relevant oral and documentary evidence and not in the absence thereof. On the basis of the material on record, the Court has the discretion to raise a presumption of fact while considering whether the fact of demand has been proved by the prosecution or not. Of course, a presumption of fact is subject to rebuttal by the accused and in the absence of rebuttal presumption stands.

(f).......

(g) In so far as Section 7 of the Act is concerned, on the proof of the facts in issue, Section 20 mandates the court to raise a presumption that the illegal gratification was for the purpose of a motive or reward as mentioned in the said Section. The said presumption has to be raised by the Court as a legal presumption or a presumption in law. Of course, the said presumption is also subject to rebuttal. **Section 20 does not apply to Section 13(1)(d) (I) and (ii) of the Act.**

इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के मतानुसार **धारा 7 व धारा 13(1)डी(i) व (ii)** के अन्तर्गत दोषसिद्धि हेतु अवैध पारितोषण की मांग व स्वीकृति को अभियोजन पक्ष द्वारा एक आवश्यक शर्त के रूप में स्थापित करना होता है। यह विवाद्यक तथ्य (fact initio) अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष साक्ष्य (मौखिक अथवा प्रलेखीय) अथवा उपरोक्त के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित कर सकता है व यदि रिश्वत देने का प्रस्ताव रिश्वत देने वाले की ओर से आया है जिसके संबंध में लोकसेवक की ओर से कोई मांग नही की गई है और वह कथित रिश्वत व अवैध पारितोषण स्वीकार करता है तो यह मामला अधिनियम धारा 7 के अन्तर्गत मात्र स्वीकृति का है। ऐसे मामले में लोकसेवक द्वारा पहले से कोई मांग किया जाना आवश्यक नही है। जबकि यदि लोकसेवक कोई मांग रखता है व रिश्वत देने वाला व्यक्ति ऐसी मांग को स्वीकार करता है व दी गई रिश्वत लोकसेवक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यह मामला प्राप्ति (obtainment) का है जो **धारा 13(1)डी(i) व (ii)** के अन्तर्गत दण्डनीय है।

यह निर्विवाद है कि मूल तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार उपरोक्त प्रकरण अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से उसके द्वारा तहसील दिवस में मुआवजा सम्बंधित दिये गये आवेदन पर अनुकूल आख्या लगाने के उद्देश्य से 10,000/– रूपये उत्कोच अथवा अवैध पारितोषण के रूप में मांग (obtainment) किये जाने से सम्बंधित है जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा समस्त ट्रैप टीम के सदस्यों की मौजूदगी में दिनांक 06.08.2016 को अभियुक्त को उक्त मांग की गई धनराशि में से 5,000/– रूपये उत्कोच के रूप में दिये गये। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त प्रकरण

धारा 13(1)डी(i) व (ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परीधि में आता है न की इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत। चूकि उपरोक्त प्रकरण धारा 13(1)डी से सम्बंधित है अतः इस मामलें में धारा 20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली उपधारणा भी प्रयोज्य नही होगी। जैसा की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयविधि में अभिनिर्धारित किया है।

हजारी लाल बनाम दिल्ली राज्य (1980)2 SCC 390 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च नायायालय द्वारा यह मत अवधारित किया है कि कथित रिश्वत देने का तथ्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक नही है व ऐसे मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी स्थापित किया जा सकता है।

13. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त वर्णित निर्णयज विधियों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में आरोपों के समर्थन में अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करने से पूर्व यह न्यायालय अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत मुख्य परीक्षा कथन का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक व समीचीन समझता है:-

(i) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 1** के रूप में **इखलाक** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में शिकायतकर्ता है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसकी तीन बीघा जमीन NH-73 हाईवे में गयी थी, जिसकी रिपोर्ट पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता को लगानी थी क्योंकि उसे उसका मुआवजा मिलना था। पटवारी ने 419.68 मीटर भूमि की रिपोर्ट मुआवजे के लिए लगायी। उसने व उसके साथी नरेश ने तहसील दिवस नकुड़ प्रार्थना पत्र लगाया कि उसे पूरा मुआवजा दिलाया जाए। दिनांक 04.08.2016 को वह व उसका साथी नरेश पटवारी निर्मल कुमार से गाँव बान्दुखेड़ी उसके दफ्तर में जाकर मिले, तो उससे रिपोर्ट लगाने को कहा था। उसने कहा कि तुम्हे रिश्वत के 10,000/- रुपये देने होंगे। उसने कहा कि उसके पास फिलहाल 10,000/- रुपये नहीं है। उसने उसकी खुशामद की। उसने कहा कि 5,000/- रुपये रिश्वत के लेकर थाना दिवस नकुल में दिनांक 06.08.2016 को आ जाना। 5,000/- रुपये दोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लगा दूँगा बाकि पांच हजार रुपये बाद में दे देना। वह उसको रिश्वत नहीं देना चाहता था। वह मेरठ एन्टी करप्शन कार्यालाय में दिनांक 05.08.2016 को मिला था। एन्टी करप्शन वालों ने कहा था कि आपने जो कहा है, लिखकर दो। उसने अपने साथी नरेश से बोल-बोलकर तहरीर लिखवायी थी तथा पढ़वाकर सुनकर उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर कागज सं० 8क दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी, तो गवाह ने कहा यह वही तहरीर है जो उसने नरेश से लिखवाकर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। यह प्रार्थना पत्र उसने दिनांक 05.08.2016 को दिया था। उसके बाद एन्टी करप्शन वालों ने कहा था कि दिनांक 06.08.2016 को सुबह 8-9 बजे डी०एम० निवास, सहारनपुर पर मिलना और रिश्वत में दिये जाने वाले 5,000/- रुपये लेकर आना। वह व उसका साथी नरेश दिनांक 06.08.2016 को सुबह करीब 9 बजे डी०एम० के निवास पर पहुंच गये थे। उसके बाद ट्रैप टीम वालों ने डी०एम० साहब से दो गवाह लिए, फिर ट्रैप टीम वालों व डी०एम० के गवाहों से बातचीत करायी और उसका शिकायती पत्र पढ़कर सुनाया। जीप में बैठकर उससे रिश्वत में दिये जाने वाले 5,000/- रुपये उससे लिये व उन पर पाउडर लगाया, वसीम ने पाउडर लगाया था और यह कहकर वो नोट वापस किये कि यही नोट तुम्हे रिश्वत में निर्मल कुमार को देने है। वह नोट उसने अपने कुर्ते की जेब में रख लिये। फिर पुलिस वालों ने उसके व वसीम के हाथ धुलवाये तो धोवनों का रंग गुलाबी हो गया। जिन्हे दोनों के हाथों के धोवनों को अलग-अलग शीशियों में भरकर सील कर दिया था और उन पर चिट बन्दी कर उसके व वसीम के हस्ताक्षर कराये थे। फिर मौके

पर ही लिखत पढत की थी। फिर उसे पढकर सुनाकर उसके व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर कराये थे। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सुपुर्दगीनामा एवं नोट ट्रीट दिखायी व पढ़कर सुनाई गई, तो गवाह ने कहा कि यह वही लिखत पढ़त है जो मौके पर पाउडर लगवाते समय लिखी गई थी, जो पत्रावली पर कागज सं० 15 क है, इस पर उसके हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फिर वह ट्रैप टीम के साथ व नरेश को साथ लेकर नुकड थाना दिवस पर पहुंच थे। जीप को थाने से काफी दूर पहले खड़ा कर दिया था। वहां से सब लोग पैदल गये थे। फिर वह व उसका साथी नरेश पटवारी निर्मल कुमार के पास गये और उससे कहा कि उनका काम कर दो, तो उसने कहा कि 5,000/– रुपये रिश्वत के लाये हो क्या। तो उन्होंने हाँ कर दी। तो लेखपाल उन्हे लेकर सड़क पर थाने के गेट के पास लकड़ी के खोखे के पास आ गया। ट्रैप टीम उनके आस पास ही लगी हुई थी। उसने एक–एक हजार के पाँच नोट, जो ट्रैप टीम ने पाउडर लगवाकर उन्हे दिये थे, निर्मल कुमार को दिये थे। निर्मल कुमार ने वो नोट गिने और अपनी जेब में डालने लगा। तभी ट्रैप टीम वालों ने पकड़ लिया और थाने में अन्दर ले गये और वही पर उससे एक–एक हजार के पाँच नोट बरामद हुए। थाने जाकर उसके, अभियुक्त व ट्रैप टीम इंचार्ज के हाथ धुलवाये गये, तो तीनों के हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिन्हे अलग–अलग शीशियों में भरकर शीशी को सील सर्वे मोहर कर उसके व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा वहीं पर सारी कार्यवाही की, लिखत–पढ़त करके उसके व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर कराये थे। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध बरामदगी रिश्वती नोट व गिरफ्तारी की फर्द कागज सं० 4 क/4 ता 4 क/8 दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी, तो गवाह ने कहा कि यह वहीं लिखत–पढ़त है जो मौके पर की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही की थी व वे अपने घर चले गये।

(ii) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 2** के रूप में **दिनेश चन्द्र मिश्रा** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर नियुक्त स्वतंत्र राजकीय साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 06.08.2016 को वह नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट सहारनपुर में पेशकार के पद पर कार्यरत था। वह दिनांक 06.08.2016 को प्रातः 10 बजे अपने न्यायालय में पहुँचा तत्पश्चात प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उसे अवगत कराया गया कि माननीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपको पुलिस टीम के साथ लगाया गया है। आप उनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ और उसे डी०एम० साहब का आदेश भी दिखाया। वह आदेश पत्रावली पर 14 क है। इस पर तत्कालीन डी०एम० श्री पवन कुमार जी के हस्ताक्षर है, पहचानता है। तस्दीक करता है। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उसके साथ ही नरेश कुमार, वित्त लिपिक को भी नामित कर भेजा गया था। इसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद पुलिस टीम द्वारा नोट दिखाये गये तथा उन पर पाउडर लगाया गया। उसके बाद उनका मोबाईल बन्द करा दिया और वे सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल दिये। उन्हे यह नहीं बताया गया कि कहा जाना है। जब वे नकुड़ वाली रोड़ पर पहुंचे तो थाने से 500 मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी तथा वे पैदल चलने लगे। आगे–आगे टीम चल रही थी, पीछे–पीछे वे चल रहे थे, जिसमे कि आपकी पहचान न हो जाये। थाने के पास जब वे पहुंच गये तब थाने के गेट के पास टीम तथा उससे पहले सड़क के पास वह तथा नरेश कुमार खड़े हो गये। इसके कुछ देर बाद टीम वालों ने शोर मचाया कि काम हो गया, काम हो गया और एक आदमी को पकड़ कर टीम वाले थाने में अंदर ले गये। वे भी उनके पीछे–पीछे थाने में चले गये थे। जिसे पकड़कर ले गये थे, उसके हाथ धुलवाकर शीशी में भरकर उसे हवालात में बंद कर दिया और लिखा पढ़ी हुई। उन पर कई कागजों पर हस्ताक्षर कराये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 देखकर कहा कि उन पर उसके हस्ताक्षर है, जो कि थाने में बैठकर हस्ताक्षर कराये थे। उसके

सामने शिकायतकर्ता इकलाख ने हाजिर अदालत मुल्जिम निर्मल कुमार गुप्ता ने न तो रिश्वत की मांग की, न उसके सामने पांच हजार रुपये बरामद हुए, क्योंकि वह तथा नरेश थाने के सामने सड़क के उस पार थे, टीम पुलिस थाने के गेट के आस–पास थी। ट्रैफिक काफी चल रहा था, जैसे ही पुलिस टीम ने शोर मचाया, काफी भीड़ हो जाने के कारण व ट्रैफिक होने के कारण वह देख नहीं पाये थे।

(iii) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 3** के रूप में **नरेश कुमार** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर नियुक्त स्वतंत्र राजकीय साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 06.08.2016 को वह अपर जिलाधिकारी राजस्व सहारनपुर के यहाँ लिपिक के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे अवगत कराया गया जिलाधिकारी द्वारा एन्टी करप्शन टीम के साथ जाने के लिए आदेशित किया गया। डी०एम० साहब का आदेश पत्रावली पर प्रदर्श क–4 है, जिस पर उसे जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा नामित किया गया है। उसके साथ दिनेश मिश्रा नगर मजिस्ट्रेट के पेशकार को नामित किया गया था। एन्टी करप्शन वालों के साथ गाड़ी में बैठने के बाद नोट दिखाये गये। उन पर पाउडर लगाया गया था। उसके बाद उनके मोबाईल बंद करा दिये गये। वे सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल दिये। जब वे नकुड़ वाली रोड़ पर पहुंचे तो थाने से 500 मीटर पहले गाड़ी रोक दी और वे सब लोग पैदल–पैदल चल दिये। आगे–आगे टीम चल रही थी, पीछे–पीछे वे चल रहे थे। जब वे थाने के पास पहुंचे तो सड़क के पार एन्टी करप्शन की टीम में हलचल सी हुई। शोर शराबाद हुआ, उसके कुछ देर बाद टीम वालों ने शोर मचाया कि काम हो गया है और वह एक आदमी को पकड़ककर थाने में चले गये. वे भी पीछे–पीछे थाने गये थे। उस आदमी के हाथ धुलवाकर हवालात में बंद कर दिया था। वहां पर लिखा पढ़ी हुई थी। उसके कई कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–2, फर्द प्रदर्शन व प्रदर्श क–3 फर्द बरामदगी पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है। यह हस्ताक्षर उससे थाने पर करवाये थे। हाजिर अदालत मुल्जिम निर्मल कुमार गुप्त को देखकर कहा कि उस व्यक्ति ने उसके सामने शिकायतकर्ता इखलाक से न तो पांच हजार रिश्वत के प्राप्त किये थे, न उसके सामने उनसे प्राप्त हुए। वह व दिनेश मिश्रा दोनों सड़क के दूसरी तरफ खडे थे। सड़क पर बहुत भीड़ थी, इस कारण सड़क के पार क्या हुआ, उसने नहीं देखा।

(iv) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 4** के रूप में **अशोक राणा रिटायर्ड इन्सपेक्टर** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक है, जिन्होने फर्द प्रदर्शन व फर्द गिरफ्तारी तैयार किया था, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 05.08.2016 को वह प्रभारी निरीक्षक भ्र०नि० संगठन ईकाई पर नियुक्त था। उस दिन कार्यालय पर इखलाक निवासी अगौला, जिला सहारनपुर ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय में आकर दिया कि इनकी भूमि NH–73 बाई पास चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण किया जिसका मुआवजा दिलाए जाने हेतु तहसील दिवम में प्रार्थना पत्रत दिया था जिस पर लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता से रिपोर्ट मांगी गयी थी। इन्होने लेखपाल से जाकर अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए कहा तो उसने रिश्व के रूप में दस हजार रुपये की मांग की और कहा कि 06.08.2016 को थाना नकुड़ पर थाना दिवम है, उस पर 5000/– रूपये लेकर आ जाना तथा शेष 5000/–रूपये रिपोर्ट लगाने के बाद दे देना। शिकायतकर्ता ने कहा कि सिख्वत के पैसे देना नही चातहा है तथा उसे रिश्वत में पकड़वाना चाहता है। शिकायतकर्ता का बयान अंकित किया गया जिसमें प्रार्थना पत्र में लगे आरोपो की पुष्टि की गयी। प्रार्थना पत्र में प्री ट्रैप जांच निरीक्षक जे०पी० सिंह को सुपुर्द की गयी। प्री ट्रैप जांच में लोक सेवक निर्मल कुमार के भ्रष्ट आचरण की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता को इस हिदायत के साथ वापस किया गया कि कल दिनांक 06.08.2016 को DM आवास सहारनपुर पर मिले।

दिनांक 06.08.2016 को ACO कार्यालय, मेरठ पर निरीक्षक जे०पी० सिंह , विजयवीर सिंह व उदयवीर सिंह, ASI अरविन्द सिंह मुख्या आरक्षी वसीम अख्तर, आनन्द स्वरूप शर्मा, श्रीमती शारदा सिरोही व ड्राईवर प्रमोद कुमार मय सरकारी जीप टीम गठित कर जिलाधिकारी सहारनपुर के आवास पर पहुंचा जहां पर शिकायतकर्ता व उसका मित्र नरेश कुमार मौजूद मिले। स्वतंत्र गवाहों के लिए आवेदन किया गया जिस पर सरकारी कर्मचारी लिपिक नरेश कुमार व नरेश चन्द्र मिश्रा, स्वतंत्र गवाह के रूप में मिले। कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जिपसी में बैठकर शिकायतकर्ता को 5000/– जिसमें एक एक हजार रूपये के पांच नोट प्राप्त कर टीम के सहस्य वसीम अख्तर द्वारा फिनोफ्थेलीन पाऊडर लगवाकर ट्रीट किया गया। ट्रीट किये हुए नोट शिकायतकर्ता को इस आश्य के साथ दिया कि लेखपाल को रिश्वत में यही नोट देगा। वसीम अख्तर व शिकायतकर्ता के अलग–अलग सोडियम कार्बोनेट में धुलवाए गये जिसका रंग गुलाबी हो गया। दोनो के धोवन पानी को अलग–अलग शीशियों में भरकर सील सर्वे मोहर किया गया। फर्द मौके पर मेरे बोलने पर हेड कां० आनन्द स्वरूप शर्मा से लिखवायी गयी जिस पर सभी टीम व सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये। कलेक्ट्रेट परिसर से सभी सदस्य टीम के व शिकायतकर्ता गवाहो के साथ थाना नकुड़ के पास पहुंचे। सरकारी जिपसी की आड़ में खड़ा करके टीम के सभी सदस्यों ने आपस में जामा तालाशी ले देकर आपस में विश्वास करके कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु तो नही है। शिकायतकर्ता के पास ट्रीटड नोट, ट्रैप सामाग्री, के अवाला कोई आपत्तीजनक वस्तु तो नही है। शिकायतकर्ता व उसका मित्र थाने पर जहा थाना दिवम का आयोजन था गये, वहा हम अपनी मौजूदगी छिपाते हुए खड़े हुए कुछ समय बाद शिकायतकर्ता व उसका साथी नरेश व एक अन्य व्यक्ति थाने गेट पर आये शिकायतकर्ता ने इशारे में तीसरे व्यक्ति को बताया कि यही लेखपाल है जो रिश्वत लेगा। तभी वे लोगो के सामने शिकायतकर्ता ने मुआवजा की रिपोर्ट देने कि लिए अनुरोध करते ट्रीटेड नोट तीसरे व्यक्ति को दे दिये जो नोट लेकर गिनने लगा। टीम को यह यकीन हो गया कि रिश्वत के नोट लेखपाल ने ले लिए है। तभी सभी गवाहों के समक्ष थाने के पास खोके के सामने समय करीब 12:45 दिन में गिनने वाले नोट को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निर्मल कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी शंकरपुरी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, मौजूदा लेखपाल नकुड़ तहसील सहारनपुर बताया पकड़े गये व्यक्ति निर्मल कुमार के हाथों से 5000/– रुपये के नोट ट्रिटेड नोट एक एक हजार के पांच नोट बरामद हुए जिसका मिलान फर्द से किया गया जो सही पाया। पकड़े गये व्यक्ति से रिश्वती नोट के अलावा जामातलाशी से एक मोबाईल दो सिम वाला एक काले रंग का पर्स, पर्स में 5400/– रूपये व एक कंघा मिला। मौके पर इन्होने स्वयं व शिकायतकर्ता व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त निर्मल कुमार के अलग– 2 सोडियम कार्बोनेट के घोल से धुलवाये गये। सभी घोल गुलाबी रंग का हो गया। शीशियों में अलग– 2 घोल भरा गया तथा उनको सर्वे मोहर किया गया, नमूना मोहर किया गया। बरामद नोटो को एक कागज में रखकर चिटबन्दी की गयी। पकड़े गये व्यक्ति को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया तथा उसको अवगत कराया गया। उससे बरामद 5000/– के ट्रीटेड नोट जो बरामद हुए है, उसके विरूद्ध धारा 7/13(1)d सपठित धारा 13(2) भ्र०नि० अधि० 1988 का अपराध बनता है। अभियुक्त निर्मल कुमार की गिरफ्तारी की सूचना उसके कहने पर उसके पुत्र सुशान्त गुप्ता के फोन पर दी गयी। लिखा पढ़ी करने के उपरान्त थाना नुकड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर हेड कां० आनन्द स्वरूप से बोल– 2 कर अंकित करायी गयी तथा फर्द पर सभी टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर गवाही के रूप में कराये गये। फर्द गिरफ्तारी पत्रावली पर प्रदर्श क–3 के रूप में मूलरूप से इनके सामने मौजूद है जिस पर इनके स्वतंत्र साक्षियों ट्रैप टीम के सदस्यों अभियुक्त के हस्ताक्षर बने है, शिनाख्त करता है। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–4 दिखाया गया तो देखकर कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो जिलाधिकारी सहारनपुर को स्वतन्त्र साक्षियों को

उपलब्ध कराने हेतु दिया गया था। दिनांक 06.08.2016 को दिया गया था जो पत्रावली पर मौजूद है, इस पत्र पर जिलाधिकारी श्री दिनेश मिश्रा पेशकार व नरेश कुमार वित्त लिपिक को नामित किया गया है। साक्षी को पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–2 दिखाया गया तो देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो रिश्वती 5000/– एक एक हजार के पांच नोट करने तथा सुपुर्दगीनामा नोट तथा बनाने घोल दिनांक 06.08.2016 को इनके द्वारा बोलने पर आनन्द प्रकाश शर्मा से बोल– 2 कर लिखायी थी। जिस पर इनके तथा स्वतंत्र साक्षी तथा टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर बने है, शिनाख्त करते है। इनके द्वारा दिनांक 05.08.2016 को शिकायतकर्ता के बयान अंकित किये है जो पत्रावली पर 16क के रूप में है। इनके हस्तलेख में है, जिस पर इनके हस्ताक्षर बने है तथा शिनाख्त करते है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। साक्षी को पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 13 क ट्रैप टीम के गठन का पत्र दिखलाया गया देखकर कहा कि यह वही पत्र है जो भ्र०नि० संगठन द्वारा दिनांक 5.08.2016 को इन्हे ट्रैप लीडर बनाते हुए ट्रैप टीम के गठन का आदेश जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर बने है। शिनाख्त करते है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया है। मालखाने से माल तलब कर न्यायालय में लाया गया। जिससे पुलिन्दा खोलने पर पांच शीशियां तथा एक एक हजार के पांच नोट अधखुली सील में निकले। शीशी एक फर्द प्रदर्शन के समय दिनांक 06.08.2016 का HCP वसीम अख्तर के हाथों के धोवन का घोल है। जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया। शीशी नं० 2 शिकायतकर्ता के हांथों के धोवन का घोल है जो दिनांक 06.08.2016 का है। जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया। शीशी पर क्रमशः 3, 4, 5। अभियुक्त निर्मल कुमार व शिकायतकर्ता मौ० इखलाक तथा शीशी नं० 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद इनके हाथों का धोवनहै। जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्स 3, वस्तु प्रदर्स 4, वस्तु प्रदर्स 5 डाला गया। पुलिंदा में निकले 5 अध खुले सील पांच हजार रूपये एक एक हजार के नोट जिसकी चिटबन्दी पर इनके शिकायतकर्ता ट्रैप टीम के सदस्य स्वतंत्र साक्षी व अभियुक्त के भी हस्ताक्षर है, यह वही नोट है जो शिकायतकर्ता ने ट्रीट करने के बाद जो अभियुक्त लेखपाल को रिश्वत के रूप में दिये थे। शिनाख्त करते है। यह वही नोट है जो अभियुक्त से बरामद हुए थे। जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 6 ता प्रदर्श 10 डाला गया।

(v) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 5** के रूप में **नरेश कुमार** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में प्राईवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि अखलाख ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। उसने बताया कि वह प्रार्थना पत्र लेखपाल निर्मल कुमार के पास जांच के लिए आ गया है। उसने लेखपाल से रिपोर्ट लगवाने के लिए उससे साथ चलने के लिए कहा। वे लेखपाल निर्मल कुमार के गांव बांदखेड़ी गये। लेखपाल निर्मल कुमार ने बताया कि हाईवे के लिए मुआवजे के लिए अखलाख के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट लगानी है। लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता ने उसके सामने अखलाख से दस हजार रुपये मांगे। अखलाख ने कहा कि उसका दस हजार रुपये का जुगाड़ नहीं है। लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता ने कहा कि यदि अखलाख तुम्हारे पास 10 हजार का जुगाड़ नहीं है तो 5,000/– रुपये परसों लेकर नकुड़ आ जाना, 5000/– रुपये बाद में दे देना। अखलाख ने कहा कि ठीक है। वहां से वे लेखपाल के दफ्तर में आ गये थे। रास्ते में अखलाख ने कहा कि इस पटवारी ने हमें बहुत तंग कर दिया। उसे पता चला कि एन्टी करप्शन वाले ऐसे लोगों का ईलाज करते है। अखलाख ने मेरठ एन्टी करप्शन के कार्यालय चलने को कहा। दिनांक 05.08.2016 को वह व अखलाख मेरठ एन्टी करप्शन के कार्यालय आये। अखलाख ने पूरी घटना एन्टी करप्शन के कार्यालय में उनके अधिकारियों को बताया। अधिकारियों ने कहा कि जो भी वाक्या है, लिखकर दो। अखलाख ने कहा कि वह कम पढ़ा–लिखा है, लिख नहीं सकता तो एन्टी करप्शन वालों ने कहा कि किसी से लिखवाकर दो। तब

अखलाख ने उससे प्रार्थना पत्र लिखवाया। अखलाख ने बोला, उसने प्रार्थना पत्र लिखा। वह शिकायती प्रार्थना पत्र एन्टी करप्शन में दिया था। पत्रावली पर दाखिल कागज सं० 8 क को गवाह ने देखकर कहा कि यह उसके हस्तलेख में है, इस पर उसका नाम व पता लिखा है तथा उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क–1 पूर्व में डाला जा चुका है। एन्टी करप्शन वालों ने कहा कि दिनांक 06.08.2016 अगले दिन डी०एम० सहारनपुर के आवास पर मिलना। वह व अखलाख सुबह 9 बजे डी०एम० आवास पर पहुँच गये। वहाँ पर एन्टी करप्शन के अधिकारीगण थे। एन्टी करप्शन के अधिकारियों ने बताया कि दो सरकारी गवाह है, जो मौके पर मौजूद थे। डी०एम० आवास पर है। एन्टी करप्शन वालों ने अखलाख को रिश्वत में दिये जाने पांच हजार रुपये देने को कहा। अखलाख ने पांच हजार रुपये दिये। एन्टी करप्शन के अधिकारियों ने उन नोटों पर पाउडर लगाया। पाउडर लगाकर वह नोट अधिकारी ने अखलाख को दे दिये कि इनको जेब में डाल लो। अखलाख ने वह रुपये जेब में डाल लिये। उसके बाद अखलाख के हाथ धुलवाये। जिस अधिकारी ने पाउडर लगाया था, उसके भी हाथ धुलवाये। हाथ धुलने के बाद धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उसके बाद एन्टी करप्शन वालों ने उस घोल को दो शीशियों में भरा था। उन पर सील लगायी थी। शीशी भरने के बाद एन्टी करप्शन वालों ने जो लिखा पढ़ी की थी, उस पर उसके हस्ताक्षर कराये थे तथा अखलाख के भी हस्ताक्षर कराये थे। गवाह को कागज सं० 15 फर्द लेने कब्जे रिश्वती पांच हजार रुपये एक–एक हजार के पांच ट्रीट नोट एवं सुपुर्दगीनामा नोट व बनाने घोल दिखाया, तो कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है। उसके बाद उनको तथा अखलाख व गवाहान को लेकर एन्टी करप्शन वाले नकुड़ चले गये। दिनांक 06.08.2016 को थाना दिवस था, उस दिन ही उनको बुला रखा था। एन्टी करप्शन वालों ने थाने से पहले ही जीप खड़ी कर दी थी। उन्होंने कहा कि उनसे बात न करना, तुमको जिस प्रकार रुपये देकर ट्रैप कराना, वह धर लो। वह एवं अखलाख थाना में गये, वहां पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता मौजूद था। उन्होंने कहा कि रिश्वत के जिन नोटों का वायदा किया था, वह पैसे ले लो। पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता ने कहा कि बाहर जो खोखा है, वह वही आ रहा है। वे उस खोके पर जाकर खड़े हो गये, उनके पीछे–पीछे पटवारी निर्मल कुमरा गुप्ता भी आ गये। अखलाख ने उसके सामने तथा दो सरकारी गवाहों के सामने अपने कुर्ते की जेब से 5000/– रुपये निकलाकर पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता को दे दिये। निर्मल कुमार गुप्ता पटवारी ने वह पैसे गिनकर अपनी जेब में डाल लिये। पटवारी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो जायेगा। तभी एन्टी करप्शन वालों ने निर्मल कुमार गुप्ता को पकड लिया। उसके बाद एन्टी करप्शन वाले उनको तथा पटवारी को लेकर थाना चले गये। थाना पर अखलाख, निर्मल कुमार गुप्ता पटवारी तथा एन्टी करप्शन के एक अधिकारी के हाथ धुलवाये गये। उसके सामने घुले हुए धोवन का रंग गुलाबी हो गया था। एन्टी करप्शन वालों ने निर्मल कुमार गुप्ता से पांच हजार रुपये जो दिये थे, ले लिए। धोवन को दो शीशियों में भरा तथा उनको सील कर दिया। उसके बाद लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी पर उसके हस्ताक्षर कराये तथा अखलाख के भी हस्ताक्षर कराये। टीम में मौजूद सभी के हस्ताक्षर कराये। गवाह को पत्रावली पर दाखिल कागज सं० 4 क/4–8 फर्द वाक्याती गिरफ्तारी व बरामदगी रिश्वती ट्रीटीड पांच हजार रुपये (एक–एक हजार के पांच नोट) को देखकर कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–3 डाला गया है। इसके बाद का उसे पती नहीं।

(vi) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 6** के रूप में **डोली** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में सिपाही के पद पर तैनात थी, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 06.08.2016 को वह थाना नकुड़ में सिपाही के पद पर तैनात थी। उसी दिन उसकी

ड्यूटी कम्प्यूटर कक्ष में थी। उसी दिन उसके द्वारा मु०अ०सं० 363/2016 धारा 7/13(1)डी, 13(2) भ्र०नि० अधि० थाना नकुड़ जिला सहारनपुर बनाम निर्मल कुमार गुप्ता की चिक कां० क्लर्क 54 राजेश सिंह द्वारा फरद्र की नकल उसे बोल–बोलकर शब्द ब शब्द कम्प्यूटर पर उसके द्वारा टाईप करायी गयी थी। उसके द्वारा टाईप की गई चिक पत्रावली पर कागज सं० 4क/1 ता 4 क/3 है, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। जिसका खुलासा जी.डी. नं० 30 समय 15.15 बजे उसी दिन कां० राजेश द्वारा किया गया था। जी.डी. बोल–बोलकर राजेश द्वारा उससे टाईप कराई गई थी। जी.डी. पत्रावली पर कागज सं० 5क/1 है, इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

(vii) अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 7** के रूप में **शमशाद हुसैन** को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी जनपद सहारनपुर के पद पर कार्यरत थे, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह वर्ष 2016 में उप जिलाधिकारी नकुड़, जनपद सहारनपुर के पद पर कार्यरत था। उसके समक्ष निर्मल कुमार गुप्ता लेखपाल तहसील नकुड़, सहारनपुर के रूप में कार्य करते हुये उनको इखलाक से उसकी कृषि भूमि जो कि NH–73 बाईपास के चौड़ीकरण में अधिग्रहण की गयी थी, का मुआवजा दिलाने की रिपोर्ट लगाने के एवज में 5,000/– रुपये का उत्कोच लेते हुये दिनांक 06.08.2016 को समय 12.45 बजे कोतवाली नकुड़ के गेट के सामने सड़क पार खोके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या– 363/2016 धारा 7/13(1)डी, सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, थाना नकुड़ जिला सहारनपुर में पंजीकृत कराया गया था, चूंकि वह उस समय उप जिलाधिकारी नकुड़ होने के कारण उक्त निर्मल कुमार गुप्ता लेखपाल को पद से हटाने के लिये सक्षम अधिकारी होने के नाते मामले के सम्बन्ध में उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी सामग्री और मामले की परिस्थितियों को पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात उसने पाया कि निर्मल कुमार गुप्ता लेखपाल को उक्त अपराध के लिये न्यायालय में अभियोजित किया जाये। अतः उसके द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अपराध/अपराधों के लिये उक्त कार्यों के सम्बन्ध में – विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराधों के लिये निर्मल कुमार गुप्ता को अभियोजित करने और उक्त अपराधों का किसी अधिकारिकतायुक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के लिये दिनांक 24.10.2016 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश कागज संख्या–35क वी०सी० के द्वारा देखकर कहा कि यह वही अभियोजन स्वीकृति आदेश है, जो उसके द्वारा दिनांक 24.10.2016 को जारी किया गया था। इस पर उसके हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है। इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

14– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता का कथन अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० इस न्यायालय द्वारा अंकित किया गया। अभियुक्त ने कथन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध झूठी शिकायत की गई। अभियुक्त पूर्व में ही दिनांक 25.06.2016 को रिपोर्ट लगा चुका था तथा शिकायत में दर्शाया गया मिलने का स्थल दफ्तर, मौके पर नही है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 मौ० इखलाक शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि इस साक्षी ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन के दबाव में मुख्य परीक्षा के दौरान झूठा बयान दिया है, ऐसी कोई घटना कारित नही हुई है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा व पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा दोनो साक्षीगण के बयानों को सत्य बताया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 अशोक राणा के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि झूठा बयान दिया गया है, ऐसी कोई घटना कारित नही हुई। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5

नरेश कुमार पुत्र दल सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि झूठा बयान दिया है। वास्तव में साक्षी नरेश कुमार द्वारा मौ० इखलाक से कुछ जमीन खरीदी थी तथा वही लालचवश अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु दबाव बना रहा था। उसी के द्वारा इखलाक के माध्यम से झूठी शिकायत करके, बिना किसी आधार के झूठा फंसाया गया है जबकि इखलाक अपना मुआवजा ले चुका था। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 हे०कॉ० डोली के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि इस साक्षी ने झूठा बयान दिया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम के दबाव में झूठा मुकदमा एन्टी टाईम दर्ज किया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 शमशाद हुसैन के साक्ष्य के सम्बंध में अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि इस साक्ष्य ने झूठा बयान दिया है तथा बिना अभिलेख देखे बिना अपना विवेक इस्तेमाल किये बिना भ्रष्टाचार निवारण संगठन के दबाव में अभियोजन स्वीकृति दी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 कुंवरपाल सिंह के साक्ष्य के सम्बंध में अबियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि इस साक्ष्य मे झूठा बयान दिया है। निश्पक्ष विवेचना न करके झूठा आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त द्वारा यह कथन भी किया गया है कि साक्षी पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 स्वतंत्र साक्षीगण ने उसके विरुद्ध कोई गवाही नही दी है। बाकी झूठी गवाही देते है। अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में प्रल्लेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है, कोई मौखिक साक्ष्य नही दिया है।

निष्कर्ष

15. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना है कि कथित घटना के समय अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता के वैध कार्य से सम्बंधित कोई काम लम्बित था जो अभियुक्त द्वारा उत्कोच प्राप्त करने का हेतुक था। उक्त हेतुक के अभाव में अभियुक्त द्वारा किसी अवैध पारितोषण अथवा रिश्वत मांगे जाने का कोई औचित्य ही नही रह जाता है। अपने तर्क को बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है कि शिकायतकर्ता के कथनानुसार उसके द्वारा अपनी भूमि लगभग 3 बीघा जो NH73 बाईपास/चौड़ीकरण के लिए अभिगृहीत की गई थी, के मुआवजे की प्राप्ति हेतु दिनांक 19.07.2016 को तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर हल्का लेखपाल निर्मल कुमार/अभियुक्त की ओर से आख्या अपेक्षित थी। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.08.2016 को राजस्व निरीक्षक को यह आख्या प्रेषित की थी कि प्रार्थी/शिकायतक्ता मौ0 इखलाक का प्रार्थना पत्र निराधार है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है व उक्त आख्या को राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2016 को सम्बंधित तहसीलदार को प्रेषित किया गया था जिसे सम्बंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.08.2016 को अवलोकित किया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण अभियुक्त के स्तर से दिनांक 01.08.2016 को किया जा चुका था व शिकायतकर्ता के मूल प्रार्थना पत्र **प्रदर्श क–1** दिनांकित 05.08.2016 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार उक्त तिथि को अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता का कोई कार्य लम्बित न होने के कारण अभियुक्त का शिकायतकर्ता से उत्कोच प्राप्त करने का कोई हेतुक नही रह गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक किसी प्रकार साबित नही होता है।

16. यह सही है कि धारा 7 अथवा धारा 13 भ्र० नि० अधिनियम 1988 में उल्लिखित प्रावधानों में आरोपित अपराध को साबित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करे कि अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता से उत्कोच प्राप्त करने से पूर्व उसके पास शिकायतकर्ता का कोई कार्य लम्बित रहा हो जिसकी पूर्ति हेतु अभियुक्त के पास उत्कोच प्राप्त करने

का कारण व आधार विद्यमान हो। उक्त सम्बंध में शिकायतकर्ता की मूल तहरीर प्रदर्श क–1 केअवलोकन से विदित होता है कि उक्त तहरीर के अनुसार शिकायतर्का का यह कथन है कि उसकी लगभग 3 बीघा भूमि जो सहारनपुर में NH 73 बाईपास के चौड़ीकरण हेतु अभिगृहीत की गई है पर लेखपाल निर्मल कुमार ने केवल 419.68 मीटर भूमि का मुआवजा दिलाने की रिपोर्ट दी थी। जिस सम्बंध में उसके द्वारा 3 बीघा जमीन का मुआवजा लेने हेतु दिनांक 19.07.2016 को तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद वह लेखपाल निर्मल कुमार से मिला और उसकी रिपोर्ट जल्दी बना कर देने को कहा तो लेखपाल ने उक्त कार्य हेतु 10,000/– रूपये रिश्वत की मांग की। पुनः दिनांक 04.08.2016 को शिकायतकर्ता अपने मित्र नरेश कुमार के साथ अभियुक्त के ग्राम बांदुखेड़ी में मिलकर अपनी रिपोर्ट लिखाने की खुशामद की तो लेखपाल ने कहा की तुम दिनांक 06.08.2016 को थाना नकुड़ में थाना दिवस में 5,000/– रूपये रिश्वत लेकर आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट लगा दूंगा व शेष 5,000/– रूपये रिश्वत के बाद में दे देना। उक्त तहरीर के साथ शिकायतकर्ता मौ0 इखलाक द्वारा सम्बंधिक कागजात संलग्न होने का उल्लेख किया है, यद्यपि अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त कागजात को साबित नही कराया गया किन्तु उक्त कागजात पत्रावली पर कागज संख्या 10क व 11क के रूप में मौजूद होने का अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है।

17. अभियुक्त की ओर से अपने सफाई साक्ष्य में सूचि संख्या 111ख के माध्यम से कागज संख्या 112ख/25 कार्यालय जनसूचना अधिकारी तहसील नकुड़ सहारनपुर से जन सूचना से प्राप्त कागज संख्या 111ख/26 प्रार्थना पत्र मौ0 इकलाख दिनांकित 19.07.2016 व कागज संख्या 111ख/27 आख्या लेखपाल निर्मल कुमार संलग्न की गई है जिनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि कागज संख्या 111ख/26, दिनांक 19.07.2016 को शिकायतकर्ता मौ0 इकलाख के द्वारा ग्राम जगैता नजीब में खसरा संख्या 497 से राष्ट्रीय राजमार्ग में अभिगृहीत की जा रही उसकी भूमि करीब 3 बीघा कच्चा का मुआवजा दिलाए जाने से सम्बंधित है। उक्त प्रपत्र राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल निर्मल कुमार/अभियुक्त से सम्बंधित होने का उल्लेख इस प्रपत्र पर उपलब्ध है। कागज संख्या 111ख/27 के अनुसार सम्बंधिक लेखपाल द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख किया है कि प्रार्थी मौ0 इकलाख का प्रार्थना पत्र निराधार है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही है। उक्त आख्या पर सम्बंधित लेखपाल/अभियुक्त निर्मल कुमार द्वारा 01.08.2016 को हस्ताक्षर किये गये है व राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आख्या को 02.08.2016 को अग्रसारित किया जाना अंकित है। सम्बंधित तहसीलदार द्वारा इस आख्या को दिनांक 16.08.2016 को अवलोकित किये जाने का प्रष्ठांकन भी उक्त पर मौजूद है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत होता है कि उक्त आख्या अभियुक्त निर्मल कुमार द्वारा दिनां्क 01.08.2016 को प्रेषित कर दी गई थी जिसके उपरान्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता की ओर से उसके पास लम्बित नही था जिस कारण शिकायतकर्ता से उत्कोच प्राप्त करने का कोई हेतुक भी अभियुक्त के पास नही था किन्तु यह गौर तलब है कि उक्त आख्या की कोई जानकारी, दिनांक 04.08.2016 जब शिकायतकर्ता अपने पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.07.2016 की पैरवी हेतु अभियुक्त के गांव बांदुखेड़ी गया, से पूर्व शिकायतकर्ता को नही थी। ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही है कि उक्त आख्या शिकायतकर्ता को प्राप्त कराई गई हो। जिस कारण इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि शिकायतकर्ता दिनांक 04.08.2016 को अपने मित्र नरेश के साथ अभियुक्त के गांव बांदुखेड़ी गया हो जहां अभियुक्त के द्वारा उसके प्रार्थना पत्र पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु उत्कोच की मांग की गई हो। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0 डब्लू0 8 कुवर पाल सिंह जो इस मामले के विवेचक है

को परिचित कराया गया है जिसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि तहसील दिवस से प्राप्त रजिस्टर में 365 नं0 पर शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र का इन्द्राज अंकित है जिसपर लेखपाल निर्मल गुप्ता द्वारा दिनांक 01.08.2016 को अपनी आख्या प्रेषित करना व राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आख्या को 02.08.2016 को तहसीलदार को प्रेषित किया जाना अंकित है किन्तु वह नही कह सकता की शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र 19.07.2016 का निस्तारण उसके द्वारा ए०सी०ओ० मेरठ में दिये गये शिकायत पत्र दिनांकित 05.08.2016 से पूर्व कर दिया गया था या नही, जिससे स्पष्ट होता है कि दौरान विवेचना सम्बंधित विवेचक द्वारा अभियुक्त के कार्यालय में ऐसा कोई अभिलेख नही पाया जिससे यह पुष्टि हो सके कि अभियुक्त निर्मल कुमार व राजस्व निरीक्षक द्वारा वांछित आख्या दिनांक 02.08.2016 को तहसील दार नकुड़ को वास्तविक रूप से प्रेषित कर दी गई थी।

18. उपरोक्त के अलावा यह तथ्य भी गौर तलब है कि उक्त आख्या को अभियुक्त निर्मल कुमार द्वारा सम्बंधित राजस्व निरीक्षक को प्रेषित करने व तत्पश्चात दिनांक 02.08.2016 को सम्बंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार नकुड़ को प्रेषित किये जाने के सम्बंध में उनके कार्यालय से सम्बंधित कोई डाकबही अथवा डिस्पैच रजिस्ट्रर अथवा कोई अन्य ऐसा अभिलेख पेश नही किया है जिसके आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास किया जा सके कि उक्त आख्या वास्तविक रूप में राजस्व निरीक्षक के स्तर से दिनांक 02.08.2016 को तहसीलदार नकुड़ को प्रेषित की जा चुकी थी। उपरोक्त के अभाव में मात्र अपनी आख्या के साथ दिनांक 01.08.2016 अंकित करने से ही यह तथ्य स्वयंमेव साबित नही हो जाता कि उक्त तिथि के उपरान्त अभियुक्त के पास शिकायतकर्ता से उत्कोच प्राप्त करने का कोई हेतुक नही रह गया था। अभियुक्त लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता व राजस्व निरीक्षक दोनो एक ही विभाग के कर्मचारी है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य को स्पष्ट करने हेतु अभियुक्त की ओर से सर्वोत्तम साक्ष्य (best possible evidence) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अतः विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क बलहीन व सारहीन है व उक्त आधार पर अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता भंग होनी नही कही जा सकती है।

19. सुयोग्य अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है न ही अभियुक्त द्वारा कोई उत्कोच की मांग किये जाने अथवा शिकायतकर्ता द्वारा उसे उत्कोच के रूप में कोई धनराशि दिया जाना स्वीकार किया है व जिलाधिकारी सहारनपुर की ओर से नामित दोनो स्वतंत्र गवाहान दिनेश चन्द्र मिश्रा व नरेश कुमार द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण उपरोक्त दोनो गवाहन को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र गवाह पी0 डब्लू0 5 नरेश कुमार पुत्र दल सिंह का साक्ष्य ही विचार योग्य रह जाता है किन्तु उक्त साक्षी इस आधार पर विश्वनीय होना नही कहा जा सकता क्योकि उसके द्वारा भी शिकायतकर्ता की भूमि का कुछ अंश क्रय किया गया था जो राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ीकरण हेतु अभिगृहीत की गई थी। अतः इस गवाह द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा लेने के लिए लेखपाल निर्मल गुप्ता के उपर गलत आख्या देने का दबाव बनाया व उसके न मानने पर शिकायतकर्ता की आड़ में झूठा शिकायती पत्र एन्टीकरप्शन दफ्तर में दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 05.08.2016 व दिनांक 19.07.2016 को दिये गये प्रार्थना पत्र नरेश कुमार के कहने पर ही उसके द्वारा दिये गये थे। उपरोक्त के अलावा अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकार यह साबित नही होता है कि अभियुक्त के द्वारा

शिकायतकर्ता से किसी रिश्वत की मांग की गई थी व उसके फल स्वरूप कोई धनराशि प्राप्त की गई थी अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा फर्द बरामदगी के अनुसार रिश्वती नोटों की बरामदगी मात्र से ही उसके विरूद्ध कथित अपराध संदेह से परे साबित नही होता है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से निर्णय विधि **बी० जैराज बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2014(13) SCC 55, पी० सत्यनारायण मूर्ति बनाम डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ पुलिस** AIR **2015 SC 3549, एन० सुनकन्ना बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2016 (1) SCC 713, कृष्ण चन्द्र बनाम दिल्ली राज्य** AIR **2016 SC 298** संदर्भित की गई है।

20. उपरोक्त संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सामाग्री से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि शिकायतकर्ता मौ० इखलाक के द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में अपनी मूल तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है व दिनांक 05.08.2016 को तहरीर कागज संख्या 8 क को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित करने के अलावा डी०एम० जिलाधिकारी सहारनपुर के आवास पर जीप में बैठकर रिश्वत में लिए जाने वाले नोटों पर पाउडर लगाने, व उसके उपरान्त शिकायतकर्ता व सिपाही वसीम के हाथ धुलवाने पर हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो जाने पर उसे अलग अलग शीशियों में सील बंद कर चिटबंदी करने व उनके हस्ताक्षर कराए जाने व उक्त सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध **फर्द सुपुर्दगीनामा एवं नोट ट्रीट**, कागज संख्या 15 क को **प्रदर्श क–2** व नकुड़ थाने पर तैयार फर्द बरामदगी रिश्वती नोट व गिरफ्तारी अभियुक्त पर अपने हस्ताक्षर होने के आधार पर उक्त को **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में इस गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा से असंगत यह कथन भी किया है कि प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 पर उसके हस्ताक्षर थाना नकुड़ में पुलिस वालो ने कराए थे। वह लेखपाल निर्मल कुमार से अपनी जमीन का मुआवजा दिलाने के सम्बंध में कभी नही मिला न ही निर्मल कुमार ने उसकी जमीन का अधिक मुआवजा दिलाने के लिए किसी रिश्वत की मांग की। उसके द्वारा अभियुक्त निर्मल कुमार पटवारी को रिश्वत में कभी भी 5,000/– रूपये नही दिये न ही उसके सामने पुलिस वालों ने अभियुक्त से रिश्वती नोट बरामद किये। उसके द्वारा थाने पर अपने हाथ धुलवाए जाने से भी इन्कार किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस गवाह की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में विरोधाभास की स्थिति है जिस कारण शिकायतकर्ता/गवाह पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य को विश्वसनीय होना नही कहा जा सकता। यह गौर तलब है कि इस गवाह द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वे तीन भाई है जिनके नाम ग्राम जघेता नजीम तहसील नकुड़ में 2.0280 हे० खेती की जमीन है जिसमें उसका 1/3 हिस्सा था, उसने अपनी जमीन का पहला बैनामा 13.09.2011 को सुरेन्द्र सिंह, उसके बाद दिनांक 19.02.2013 को संजिदा पत्नी वजीर को, इसके पश्चात दिनांक 10.01.2014 को रईस पुत्र रसीद को व तत्पश्चात दिनांक 21.03.2016 को नरेश कुमार, सचिन कुमार व अपने पुत्र आरिफ के नाम संयुक्त रूप से भिन्न–भिन्न विक्रय पत्र निष्पादित किये थे व अपने हिस्से की जमीन बेचने के बाद दिनांक 21.03.2016 को उसके पास मात्र 105 वर्ग मीटर जमीन शेष रह गई थी। आगे यह भी स्वीकार किया कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहारनपुर द्वारा दिनांक 16.12.2016 को तहसीलदार नकुड़ को आदेश करते हुए सही हिस्सा निर्धारण करने के लिए पत्रावली भेजी थी जिसपर तहसीलदार नकुड़ द्वारा हिस्सा निर्धारण करते हुए उसके हिस्से में 22.14 भूमि होने का उल्लेख किया था जिसका मुआवजा उसने प्राप्त कर लिया था। इस तथ्य की पुष्टि अभियुक्त की ओर से सूची संख्या 112 ख से दाखिल कागज संख्या 111 ख/37 सत्य प्रतिलिपि हिस्सा निर्धारण, विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी सहारनपुर से भी होती है। यह प्रकार यह निर्विवाद है कि शिकायतकर्ता द्वारा विक्रय की गई अपनी भूमि की पूर्ण जानकारी होते हुए भी उसके द्वारा दिनांक 19.07.2016 को तहसील दिवस में अपने प्रार्थना पत्र

में 3 बीघा कच्चा भूमि, जो 105 वर्ग मीटर भूमि से कई अधिक थी, के सम्बंध में मुआवजा दिलाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिकायतकर्ता/गवाह पी०डब्लू 1 मौ० इखलाक द्वारा न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य ही प्रस्तुत नही किया है किन्तु वह एक शातिर किस्म का व्यक्ति है जिसके द्वारा अपनी विक्रय की गई भूमि की पूर्ण जानकारी होने पर भी विशेष भूमि अध्यापति अधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया गया। अतः इस गवाह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त निर्मल गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता से उत्कोच की मांग करने व प्राप्त करने का तथ्य साबित नही होता है किन्तु शिकायतकर्ता द्वारा मूल तहरीर प्रदर्श क–1 एन्टीकरप्शन कार्यालय मेरठ में दिनांक 06.08.2016, दिनांक 06.08.2016 को डी०एम० सहारनपुर के आवास पर शिकायतकर्ता के पहुंचने के उपरान्त ट्रैप टीम की मौजूदगी में फर्द प्रदर्शन व नोट ट्रीट की कार्यवाही में भाग लेने व तदोपरान्त उसी दिन ट्रैप टीम के सभी सदस्यों के साथ थाना दिवस पर थाना नकुड़ पहुंचने व थाने के अन्दर गवाह नरेश के साथ जाकर अभियुक्त से मिलने के तथ्य की आवश्यक रूप से पुष्टि होती है।

21. जहां तक गवाह पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र के साक्ष्य का प्रश्न है, इस गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में शिकायतकर्ता इकलाख से हाजिर अदालत मुलजिम निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा उसके समक्ष रिश्वत की मांग किये जाने अथवा अभियुक्त से 5000 रूपये बरामद के तथ्य से इंकार किया है क्योकि इस गवाह के कथनानुसार यह गवाह व उसके साथ मौजूद दूसरा स्वतंत्र साक्षी नरेश थाने के सामने सड़क के उस पार खडे थे, भीड़ व ट्रैफिक हो जाने के कारण वह कुछ देख नही पाए थे। उपरोक्त बयान के आधार पर इस गवाह को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये बयानो के आधार पर अभियोजन पक्ष की याचना पर इस गवाह को भी न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया।

पक्षद्रोही साक्षीगण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **भगवान सिंह प्रति हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 202, सतपाल प्रति दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 294, सैयद अकबर प्रति कर्नाटक राज्य ए०आई०आर० 1979 एस०सी० 1848** तथा **योमेशभाई प्रानशंकर भट्ट प्रति गुजरात राज्य (2011) 6 एस०सी०सी० 312** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

The mere fact that a witness is declared hostile by the party calling him and allowed to be cross–examined does not make him unreliable so as to exclude his evidence from consideration altogether. His evidence is to be considered for what it is worth.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **मधुकर दामू पाटिल प्रति महाराष्ट्र राज्य 1996 क्रि०एल०जे० 1962** तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी **माधो राम प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 1984 इलाहाबाद एल०जे० 275, 1984 इलाहाबाद क्रि०आर० 42** तथा **राजाराम प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, 1978 इलाहाबाद क्रि०आर० 11** में पक्षद्रोही साक्षी के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

The portion of the testimony of hostile witness, which inspires confidence can be relied upon. The evidence of hostile witness can be accepted in part e.g. To fix the place of occurrence and to prove his presence at the place of occurrence.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **जी० वेनुगोपालस्वामी प्रति आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 2477** तथा **अमन कुमार प्रति हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 1497** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

Part of the evidence of the hostile witnesses which is cogent and reliable can be acted upon.

खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र प्रति मध्य प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 1991 एस०सी० 1853 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किः–

"(a) merely because a witness has turned hostile, his evidence is not effaced altogether, part of his evidence which is otherwise acceptable can be acted upon; (b) omission of the names of eye-witnesses in the inquest report is no ground to disbelieve the eye-witnesses; (c) that the same set of panch witnesses used to witness three discoveries and also attachment of the clothes of the accused is no ground to discard their testimony, the mere fact that the witness had a good neighbourly relation with the deceased is no ground to discard his testimony; (d) even when serologist finds human blood on the weapon of assault and the wearing apparel of the culprit it is enough no matter the blood groups were not determined........"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **नीरज दत्ता प्रति राज्य(जी०एन०सी० टी०डी०) 2022 लाइवलॉ (एस०सी०)1029** में भी पक्षद्रोही साक्षी के सम्बंध में यह मताभिव्यक्ति की है कि–

"This court cautioned that even if a witness is treated as "hostile" and is cross-examined, his evidence cannot be written off altogether but must be considered with due care and circumspection and that part of the testimony which is creditworthy must be considered and acted upon. It is for the judge as a matter of prudence to consider the extent of evidence which is creditworthy for the purpose of proof of the case. In other words, the fact that a witness has been declared "hostile" does not result in an automatic rejection of his evidence. Even, the evidence of a "hostile witness" if it finds corroboration from the facts of the case may be taken into account while judging the guilt of the accused. Thus, there is no legal bar to raise a conviction upon a "hostile witness" testimony if corroborated by other reliable evidence"

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अब यह देखना है कि उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य क्या अभियोजन कथानक का कोई समर्थन करती है?

22. यह सही है कि उपरोक्त दोनो गवाहान पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा व पी०डब्लू० 3 नरेश चन्द्र, जो स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा ट्रैप की कार्यवाही में भाग लेने हेतु नामित किये गये थे, न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये किन्तु यह उल्लेखनीय है कि गवाह पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है दिनांक 06.08.2016 को प्रातः 10 बजे अपने न्यायालय में पहुचने पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उसे बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपको पुलिस टीम के साथ लगाया गया है व उसे

जिलाधिकारी का आदेश दिखाया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 14क है पर इस गवाह द्वारा तत्कालीन डी०एम० के हस्ताक्षर की शिनाख्त के आधार पर उक्त प्रपत्र को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है। आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस टीम द्वारा उसे नोट दिखाए गये थे व उस पर पाउडर लगाया गया था। उसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर चल दिये थे व थाना नकुड़ से 500 मी० पहले गाड़ी रोककर सभी पैदल चलने लगे। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इस गवाह द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि जो नोट फर्द प्रदर्शन के समय शिकायतकर्ता ने इन्सपेक्टर साहब को दिये थे वह 5,000/- रूपये थे, एक एक हजार के पांच नोट थे व लेखपाल थाने के गेट के पास आया था। यह भी स्वीकार किया कि ट्रीट करके नोट शिकायतकर्ता को दिये गये थे, उसके बाद हाथ धुलवाकर धोवन की शीशी तैयार की गई थी। इसी प्रकार गवाह पी० डब्लू० 3 नरेश कुमार पुत्र सुमेर चन्द्र के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जिलाधीकारी का आदेश, प्रदर्श क-4 में उसे नामित किये जाने, एन्टीकरप्शन वालों के साथ गाड़ी में बैठने के बाद नोट दिखाकर उसपर पाऊडर लगाने व सभी लोगो के गाड़ी में बैठकर थाना नकुड़ से 500 मी० पहले गाड़ी रोककर और वहां से सभी लोगो को पैदल-पैदल थाने पर आने के तथ्य को स्वीकार किया है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि दोनो गवाहान पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 यद्यपि पक्षद्रोही साक्षी है किन्तु उनके साक्ष्य का पूर्ण रूप से तिरस्कार नही किया जा सकता है क्योकि उनके साक्ष्य मे आए तथ्यों के आधार पर फर्द ट्रीट प्रदर्श क-2 व फर्द बरामदगी रिश्वत नोट व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क-3 में उल्लिखित तथ्यों व परिस्तिथियों की पुष्टि होती है। अतः इस हद तक गवाहान पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा व पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार का साक्ष्य पुष्टिकारक होना कहा जाएगा।

23. **गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार** इस मामले का एक महत्वपूर्ण साक्षी है क्योकि उसके द्वारा अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मौ० इकलाख ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया व बताया कि वह प्रार्थना पत्र लेखपाल निर्मल कुमार के पास जांच के लिए आया है। उसने लेखपाल से रिपोर्ट लगवाने के लिए इस गवाह को साथ चलने को कहा। वे लेखपाल निर्मल कुमार के गांव बांदूखेड़ी गये जहां लेखपाल ने बताया कि हाईवे के मुआवजे के लिए इखलाक के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट लगनी है। लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता ने उसके सामने इखलाक से खर्चे पानी के नाम पर रिश्वत के 10000 रूपये मांगे जिसपर इखलाक ने कहा कि उसके पास 10,000 रूपये का जुगाड़ नही है। तब लेखपाल ने कहा कि 5000 रूपये परसो लेकर नकुड़ आ जाना, 5000 रूपये बाद में दे देना जिसपर इखलाक ने कहा की ठीक है। किन्तु रास्ते में इखलाक ने कहा कि इस पटवारी ने बहुत तंग कर दिया है। अतः इस गवाह से शिकायतकर्ता इखलाक ने मेरठ एन्टीकरप्शन कार्यालय में चलने को कहा। दिनांक 05.08.2016 को यह गवाह व इखलाक एन्टीकरप्शन कार्यालय आये व इखलाक ने पूरी घटना एन्टीकरप्शन कार्यालय के अधिकारी को बताई। अधिकारियों ने कहा कि जो वाक्या है लिखकर दो। **इखलाक के यह कहने पर कि वह कम पढ़ा-लिखा है तो एन्टीकरप्शन वालों ने कहा कि किसी से लिखवा कर दो। तब इखलाक ने उससे प्रार्थना पत्र लिखवाया, इखलाक ने बोला व उसने प्रार्थना पत्र लिखा।** वह इखलाक के साथ एन्टीकरप्शन वालों के कहे अनुसार दिनांक 06.08.2016 को सुबह 9 बजे डी०एम० आवास पर पहुंच गया था। दो सरकारी गवाह मौके पर मौजूद थे व एन्टीकरप्शन के अधिकारीगण भी थे। एन्टीकरप्शन वालों ने इखलाक से रिश्वत में दिये जाने वाले 5000 रूपये लेकर एन्टीकरप्शन के अधिकारी से उन नोटो पर पाऊडर लगवाया व पाऊडर लगवाकर वह नोट इखलाक को दे दिये जिसे इखलाक ने अपनी जेब में डाल दिया। उसके बाद इखलाक व एन्टीकरप्शन के जिस अधिकारी ने पाऊडर लगवाया था, उनके हाथ धुलवाए। हाथ धुलने के बाध धोवन का रंग गुलाबी

हो गया, जिसके बाद उस घोल को दो शीशियों में भरा गया जिनपर सील लगाई गई। शीशी भरने के बाद एन्टीकरप्शन वालो ने जो लिखापढ़ी की थी उसपर इस गवाह व इखलाक के हस्ताक्षर कराए थे। इस गवाह ने फर्द सुपुर्दगीनामा पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। इसके बाद यह गवाह, शिकायतकर्ता इखलाक व अन्य गवाहान के साथ एन्टीकरप्शन वालों के साथ नकुड़ थाने पहुंचा जहां दिनांक 06.08.2016 को थाना दिवस था। एन्टीकरप्शन वालों ने थाने से पहले ही जीप खड़ी कर दी व उन्हे कहा कि उनसे बात न करना, तुमको जिस प्रकार रुपये देकर काम कराना है वे करा लो। **तब वह इखलाक के साथ थाने पर गये जहां पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता मौजूद था। उन्होने कहा कि रिश्वत का जो वायदा किया था वो पैसे ले लो। पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता ने कहा कि बाहर जो खोखा है मै वही आ रहा हूं।** वे लोग उस खोखे पर जाकर खड़े हो गये तो उनके पीछे–पीछे निर्मल गुप्ता भी आ गया। इखलाक ने उसके सामने अपने कुर्ते की जेब से 5000 रूपये निकाल कर पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता को दे दिये जिसे अभियुक्त ने गिनकर अपनी जेब में डाल लिए। तभी एन्टीकरप्शन वालों ने निर्मल कुमार गुप्ता को पकड़ लिया। थाने पर इखलाक, निर्मल कुमार गुप्ता पटवारी तथा एन्टीकरप्शन के एक अधिकारी के हाथ धुलवाए गये। उसके सामने धोवन का रंग गुलाबी हो गया था। उसके बाद लिखा पढ़ी कर उसके इखलाक के व टीम में मौजूद सभी के हस्ताक्षर कराए गये। इस गवाह ने फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी रिश्वती नोट पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिसपर पूर्व से प्रदर्श क–3 डाला हुआ है। **इस प्रकार गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार द्वारा फर्द ट्रीट व प्रदर्शन प्रदर्श क–2 व फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी रिश्वती नोट व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7 में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनो के द्वारा किया गया है।** इस गवाह से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिनांक 20.11.2023, दिनांक 12.03.2024 व दिनांक 06.06.2024 में विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई। अपनी प्रति परीक्षा में इस गवाह द्वारा शिकायतकर्ता इखलाक द्वारा खसरा संख्या 497 की खतौनी के आधार पर सुरेन्द्र सिंह, संजिदा पत्नी वजीर अहमद, रईस पुत्र रसीद व स्वयं उसके व उसके पुत्र सचिन व मौ० आरिफ को विक्रय की गई भूमि से सम्बंधित तथ्यों को स्वीकार किया गया। साथ ही यह कथन भी किया कि इखलाक ने अपनी जमीन का मुआवजा लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, खतौनी व हिस्सा प्रमाण पत्र लगाकर अध्यापति अधिकारी सहारनपुर के कार्यालय में दिया था या नही,की उसे जानकारी नही है। आगे अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा कि **इखलाक ने तहसील दिवस में जब प्रार्थना पत्र दिया था तब उस समय वह नही था। उसने उक्त प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था की कोई जानकारी नही थी।** उसे यह भी जानकारी नही है कि उसने यह प्रार्थना पत्र किस सम्बंध मे दिया था, यह भी जानकारी नही है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना से पहले इखलाक उसे दिनांक 04.08.2016 को उसके खेत पर लगभग 11 बजे मिला था। वे बांदूखेड़ी लगभग 12 – 1 बजे गए थे। बांदूखेडी में वे 5 – 6 मिनट रुके थे, उसके बाद वे अपने घर आ गये थे। दिनांक 06.08.2016 को सुबह लगभग 8.30 बजे चला था, उस रोज वह मेरठ नही आया था। जिस रोज वह मेरठ आये थे उस रोज वह घर से पौने 7 बजे चला था। इखलाक ने उसे एन्टीकरप्शन दफ्तर का पता बता दिया था। जो शिकायती पत्र वह लिखना बताता है उसके द्वारा किसी एन्टीकरप्शन वाले अधिकारी को नही दिया था। वह शिकायती पत्र एन्टीकरप्शन के दफ्तर में इखलाक ने उसके सामने दिया था। एन्टीकरप्शन के दफ्तर में उसने एक कागज पर साईन किये थे जो दफ्तर के बाहर बैठकर लिखा गया था। एन्टीकरप्शन वाले निर्मल गुप्ता को पकड़कर थाने पर ही लाए थे, उस रोज थाना दिवस था। इस गवाह द्वारा आगे यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि थाने के दोनो तरफ दुकाने व मार्केट बना हुआ है। थाने का मुख्य दरवाजा पश्चिम की तरफ है व सड़क लगभग 30 फीट चौड़ी होगी। इस गवाह द्वारा अभियुक्त की ओर से दिये गये सुझाव से इंकार किया कि उसमें इखलाक के नाम से

स्वयं ही एन्टीकरप्शन के दफ्तर में जाकर शिकायत की हो अथवा जमीन का ज्यादा मुआवजा लेने के लिए लेखपाल निर्मल गुप्ता पर गलत आख्या देने का दबाव बनाया हो और उसके न मानने पर झूठा शिकायती पत्र एन्टीकरप्शन में दिया गया हो अथवा उसके सामने पटवारी निर्मल गुप्ता को एन्टीकरप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए न पकड़ा हो।

24. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिये गये उपरोक्त सुझाव के संबंध में गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार द्वारा अपने साक्ष्य के पृष्ठ संख्या 6 पर यह कथन किया है कि "मेरी जमीन एन०एच० 73 बाईपास चौडीकरण में गयी थी, यह वही जमीन थी जो मैने बैनामें से इखलाक से ली थी। **जितनी जमीन गई थी उसका पैसा मुझे मिल गया था। मेरा सरकार पर कोई पैसा बकाया नही था। इखलाक को मुआवजा मिल गया था या नही इसकी मुझे जानकारी नही है।** यह सही है कि मेरे लड़के सचित व आरिफ को उनके हिस्से के अनुसार मुआवजा घटना से पहले ही मिल गया था।" गवाह के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि कथित घटना से पूर्व ही जो भूमि उसके द्वारा शिकायतकर्ता मौ० इखलाक से क्रय की थी व उसका जो अंश एन०एच० 73 के चौड़ीकरण में सरकार द्वारा अभिगृहीत किया गया था, उसका पूरा मुआवजा उसे मिल चुका था। यह भी निर्विवाद है कि गवाह नरेश कुमार की ओर से अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र कथित घटना से पूर्व लम्बित होने के सम्बंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कथन नही किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जब इस गवाह का मुआवजे के सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र अथवा प्रत्यावेदन कही लम्बित ही नही था तब जमीन का ज्यादा मुआवजा लेने के लिए लेखपाल निर्मल कुमार गुप्ता पर गलत आख्या देने का दबाव यह गवाह किस प्रकार बना सकता था, यह भी समझ से परे है।

25. जहां तक यह प्रश्न है कि गवाह पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार पुत्र सुमेर चन्द्र द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता इखलाक भी अभियुक्त द्वारा उत्कोच प्राप्त करने की घटना से पूर्व उनके साथ सड़क के एक ओर खडा हुआ था व एन्टीकरप्शन टीम सड़क के दूसरी ओर थी और इस गवाह, गवाह दिनेश मिश्रा व शिकायतकर्ता इखलाक से एन्टीकरप्शन टीम वाले 20 – 25 मीटर दूरी पर थे, इसलिए वहां क्या हुआ उन तीनो ने कुछ नही देखा था, के सम्बंध में यह स्पष्ट है कि स्वयं गवाह पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा के द्वारा अपने साक्ष्य में शिकायतकर्ता मौ० इखलाक का कथित घटना के समय दोनो स्वतंत्र गवाहान के साथ मौजूद होने का कोई तथ्य अभिकथित नही किया है। इसके अलावा स्वयं मौ० इखलाक के द्वारा अपने साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नही किया है कि वह कथित घटना के समय गवाह पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार के साथ एन्टीकरप्शन टीम से दूर सड़क पर खड़ा हुआ था। अपितु शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि जब वह ट्रैप टीम के साथ नरेश को साथ लेकर थाना नकुड़ पहुंचे तो वहां से सभी लोग थाने तक पैदल गये थे, फिर वह नरेश के साथ पटवारी निर्मल कुमार के पास गया और उससे अपना काम करने के लिए कहा। अतः गवाह पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार पुत्र सुमेर चन्द्र की प्रति परीक्षा के आधार पर आये उपरोक्त तथ्य से किसी भी प्रकार ऐसा निष्कर्ष नही निकलता है कि शिकायतकर्ता भी उसके साथ कथित घटना के समय सड़क पर मौजूद था।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क भी है कि शिकायतकर्ता मौ० इखलाक द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि नरेश ने उसे अधिक मुआवजा दिलाने के लिए एक प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर कराकर दिनांक 19.07.2016 को तहसील दिवस में दोपहर के बाद दिलवाया था व कहा था कि बाकी सारी कार्यवाही वह अपने आप कर लेगा व दिनांक 05.08.2016 को भी नरेश ही उसे मेरठ लेकर आया था जहां उसे एक दफ्तर में बैठाकर कोरे कागज में हस्ताक्षर करा लिए थे व उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या लिखा था उसे इस बारे में कुछ नही

पता था। अतः सम्पूर्ण अभियोजन कथानक का मुख्य सूत्रधार गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार पुत्र दल सिंह ही है। शिकायतकर्ता की ओर से इस मामले में कोई कार्यवाही नही की गई है।

26. उपरोक्त संबंध में गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार पुत्र दल सिंह की प्रति परीक्षा दिनांकित 06.06.2024, पृष्ठ संख्या 10 में उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि "पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 41ख/14 इखलाक द्वारा आपत्ति एस०एल०ए० आफिस में 30.06.2016 को दाखिल की थी व इखलाक ने तहसील दिवस में जब प्रार्थना पत्रतदिया था तो उस समय वह उसके साथ नही था। उसने उस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था उसे यह जानकारी नही है। वह प्रार्थना पत्र किस संबंध में दिया गया था उसे यह भी जानकारी नही है।" अपनी प्रतिपरीक्षा, पृष्ठ संख्या 13 पर यह तथ्य स्वीकार किया है कि "एन्टीकरप्शन के दफ्तर में मुझे अधिकारी, दरोगा व सिपाही मिले थे, मेरी एन्टीकरप्शन अधिकारी से कोई बातचीत नही हुई। मैने जो शिकायती पत्र लिखना बताया है उसे एन्टीकरप्श वाले अधिकारी को नही दिया... ... वह शिकायती प्रार्थना पत्र एन्टीकरप्शन के दफ्तर में इखलाक ने मेरे सामने दिया था... ... एन्टीकरप्शन के दफ्तर में मेरे एक कागज पर साईन हुए थे, वह कागज दफ्तर के बाहर बैठकर लिखा गया था।" इस गवाह की सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षा पढ़ने से ऐसा कोई निष्कर्ष नही निकलता कि गवाह नरेश कुमार द्वारा अपने किसी व्यक्तिगत उद्धेश्य पूर्ति हेतु शिकायतकर्ता मौ० इखलाक के नाम की आड़ में अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को ट्रैप कराये जाने की कार्यवाही स्वयं की हो। इस गवाह का सम्पूर्ण साक्ष्य विश्वसनीय श्रेणी का है जबकि पूर्व में की गई परिचिर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि गवाह पी०डब्लू० 1 शिकायतकर्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः गवाह पी०डब्लू० 1 मौ० इखलाक की प्रति परीक्षा में प्रकट हुए तथ्यों के आधार पर गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार के साक्ष्य की विश्वसनीयता भंग होनी नही कही जा सकती। उपरोक्त के अलावा यह विधि का सुस्थापित सिद्धात है कि धारा 145 साक्ष्य अधिनियम में दिये गये उपबन्ध के अनुसार एक गवाह के साक्ष्य को दूसरे गवाह द्वारा दिये गये साक्ष्य से खण्डित (contradicted) नही किया जा सकता है। गवाहान के साक्ष्य को उनके द्वारा किये गये पूर्व कथनो के आधार पर ही खण्डित किया जा सकता है अन्यथा नही। इस सम्बंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णय विधि चौधरी रामजी भाई नरसंग भाई बनाम गुजरात राज्य २००४ (४८) ए०सी०सी०४३** में यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि–

"Section 145 of the Indian Evidence Act, 1872 (in short the Evidence Act, 1872 (in short the Evidence Act) applies when same person makes two contradictory statements. It is not permissible in law to draw adverse inference because of alleged contradictions between one prosecution witness vis–a– vis statement of other witnesses. It is not open to Court to completely demolish evidence of one witness by referring to the evidence of other witnesses. Witnesses can only be contradicted in terms of section 145 of the Evidence Act by his own previous statement and not with the statement of any other witness. (See Mohanlal Gangaram Gehani v. State of Maharashtra). As was held in the said case, section 145 applies only to cases where the same person makes two contradictory statements either in different proceedings or in two different stages of a proceeding. If the maker of a statement is sought to be contradicted, his attention should be drawn to his previous statement under section 145 of the Evidence Act only. Section 145 has no application where a witness is sought to

be contradicted not by his own statement but by the statement of another witness."

इसी प्रकार निर्णय विधि **मोहनलाल गंगाराम गेहानी बनाम महाराष्ट राज्य १९८२ (१९) ए०सी०सी०१६३** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही मताभिव्यक्ति की गयी है कि–

"It is obvious from a perusal of section 145 that it applies only to cases where, the same person makes two contradictory, statements either in different proceedings or in two different stages of a procedding. If the maker of a statement is sought to be contradicted, his attention should be drawn to his previous statement under section 145. In other words, where the statement made by a person or witness is contradicted not by his own statement but by the statement of another prosecution witness, the question of the application of section 145 does not arise."

अतः न्यायालय किसी गवाह द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर उसी मामले में तथ्य के दूसरे गवाह के साक्ष्य का पूर्ण रूप से तिरस्कार नही कर सकता।

27. इस प्रकार इस गवाह की सम्पूर्ण प्रति परीक्षा में ऐसी कोई तथ्य नही आया है जिससे उसके साक्ष्य में कोई गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हो। जहां तक कुछ अन्य विरोधाभास व विसंगतियो का प्रश्न है वे मात्र तुच्छ प्रकृति की है जो किसी भी प्रकार मामले की जड़ तक नही जाती है व कुछ हद तक स्वभाविक है क्योकि कथित घटना वर्ष 2016 की है जबर्कि इस गवाह का साक्ष्य वष 2024 में अर्थात कथित घटना के लगभग 8 वर्ष उपरान्त अंकित हुआ है। गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार के साक्ष्य से मूल तहरीर प्रदर्श क–1, फर्द ट्रीट प्रदर्श क–2, फर्द बरामदगी रिश्वती नोट व गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श क –3, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क –7 में उल्लिखित तथ्यों व परिस्तिथियों का समर्थन होता है जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

28. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा अशोक राणा के साक्ष्य को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि उक्त साक्षी भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ का प्रभारी निरीक्षक है जिसके द्वारा इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। अतः वह एक हितबद्ध साक्षी है जिसके द्वारा अभियुक्त निर्मल गुप्ता के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही कर उसे इस मामले में झूंठा फंसाने का प्रयास किया है।

29. यह सही है कि वादी मुकदमा अशोक राणा कथित घटना के दिन भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ ईकाई मेरठ में प्रभारी निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे व दिनांक 05.08.2016 को शिकायतकर्ता मौ० इखलाक के द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थित आकर अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा उसकी भूमि का मुआवजा दिलाए जाने के सम्बंध में व उत्कोच की मांग किये जाने के सम्बंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर इस गवाह के द्वारा अपने उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त कर अभियुक्त को ट्रैप करने की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। किन्तु मात्र एक पुलिसकर्मी होने के आधार पर इस गवाह के साक्ष्य को नकारा नही जा सकता है। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय विधि **रोहताश बनाम हरियाणा राज्य 2013(14) एस.सी.सी. 434** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पुलिस कर्मी के साक्षी होने की स्थिति में उसकी साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता है कि वह पुलिस कर्मी है।

State Govt. of NCT of Delhi Vs. Sunil & Anr. (2001)1 SCC 652 के मामलें में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि–

"It is an archaic notion that actions of the Police Officer, should be approached with initial distrust. It is time now to start placing at least initial trust on the actions and the documents made by the Police. At any rate, the Courts cannot start with the presumption that the police records are untrustworthy. As a presumption of law, the presumption would be the other way round. The official actrs of the Police have been regularly performed is a wise principle of presumption and recognized even by the Legislature."

30. गवाह पी०डब्लू० 4 वादी मुकदमा अशोक राणा के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 05.08.2016 को उसके कार्यालय में आकर दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र की पुष्टि करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र की प्री–ट्रैप जांच निरीक्षक जे०पी० सिंह को सुपुर्द की गई व शिकायतकर्ता को दिनांक 06.08.2016 को डी०एम० सहारनपुर के आवास पर मिलने की हिदायत दी गई। दिनांक 06.08.2016 को ए०सी०ओ० कार्यालय मेरठ पर निरीक्षक जे०पी० सिंह, विजयवीर सिंह, ए०एस०आई० वजीर सिंह, मुख्य आरक्षी वसीम अक्तर, श्रीमती शारदा सिरोही, ड्राईवर प्रमोद कुमार मय सरकारी जीप के टीम गठित कर जिलाधिकारी सहारनपुर के आवास पर पहुंचने जहां शिकायतकर्ता व उसका मित्र नरेश कुमार मौजूद मिले, का कथन किया है। स्वतंत्र गवाह के लिए आवेदन करने पर सरकारी कर्मचारी नरेश कुमार व दिनेश चन्द्र मिश्रा को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जिप्सी में बैठकर शिकायतकर्ता के 5,000/– रूपये जिसमें एक–एक हजार रुपये के पांच नोट प्राप्त कर टीम के सदस्य वसीम अख्तर द्वारा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाकर ट्रीट किया गया व ट्रीट किये गये नोट को शिकायतकर्ता को इस आशय से दिये गये कि लेखपाल के रिश्वत मांगने पर वही नोट देगा। वसीम अख्तर व शिकायतकर्ता के सोडियम कार्बोनेट में अलग–अलग हाथ धुलवाए गये जिसका रंग गुलाबी हो गया। धोवन को अलग–अलग शीशियों में भरकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया व फर्द मौके पर बोलकर हे०कॉ० आन्नंद कुमार शर्मा से लिखाई गई जिसपर सभी टीम व सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये जिसके बाद सभी टीम के सदस्य व शिकायतकर्ता गवाहों के साथ थाना नकुड़ पहुंचे व आपसी जामातलाशी ले–देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नही है। शिकायतकर्ता व उसका मित्र थाने पर जहां थाना दिवस का आयेजन था, वे व ट्रैप टीम के सदस्य अपनी मौजूदगी छिपाते हुए खड़े हो गये। कुछ समय बाद शिकायतकर्ता व उसका साथी नरेश व एक अन्य व्यक्ति थाने के गेट पर आये तब उन लोगो के सामने शिकायतकर्ता ने मुआवजे की रिपोर्ट का अनुरोध करके ट्रीटेड नोट तीसरे व्यक्ति को दे दिये जो लेकर गिनने लगा, जिसके बाद थाने के गेट के पास खोखे के सामने नोट गिनने वाले को पकड़ लिया जिसने अपना नाम निर्मल कुमार मौजूदा लेखपाल तहसील नकुड़ बताया व पकड़े गये व्यक्ति के हाथों से 5,000/– रूपये ट्रीटेड नोट बरामद हुए जिसका मिलान करने पर सही पाया गया। इस गवाह ने अपनी, शिकायतकर्ता की व गिरफ्तार अभियुक्त निर्मल कुमार के अलग–अलग सोडियम कार्बोनेट के घोल से हाथ धुलवाए, सभी घोल गुलाबी रंग के हो गये जिन्हे शीशियों में भरकर सर्वे मोहर किया गया व नमूना मोहर बनाया गया एवं चिटबंदी की गई। इस गवाह द्वारा फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क–3 पर स्वतंत्र साक्षीगण व ट्रैप टीम के सदस्यों व अभियुक्त के हस्ताक्षर की शिनाख्त की गई। इसके अलावा जिलाधिकारी सहारनपुर को स्वतंत्र साक्षीगण उपलब्ध कराने के सम्बंध में दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.08.2016 प्रदर्श क–4, फर्द ट्रीट प्रदर्श क–2, दिनांक 05.08.2016 को शिकायतकर्ता के बयान प्रदर्श क–5, ट्रैप टीम के गठन

का आदेश दिनांकित 05.08.2016 को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है व मालखाने से न्यायालय के समक्ष पेश किये गये माल पुलिंदा को खोलने पर शीशी संख्या 1 HCP वसीम अख्तर के हाथों के धोवन को वस्तु प्रदर्श 1, शीशी संख्या 2, शिकायतकर्ता के हाथों के धोवन को वस्तु प्रदर्श 3 व शीशी क्रमशः 3, 4, 5 अभियुक्त निर्मल कुमार, मौ० इखलाक व अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उनके हाथों के धोवन को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 3, 4 व 5 के रूप में साबित किया है। पुलिंदा से निकले 5,000/– रूपये के एक–एक हजार के नोट जो अभियुक्त लेखपाल को रिश्वत के रूप में दिये गये थे, को भी वस्तु प्रदर्श 6 ता 10 के रूप में साबित किया है। अपनी प्रति परीक्षा में भी इस गवाह द्वारा यह कथन किया है कि फर्द प्रदर्शन गाड़ी में बैठकर तैयार की गई थी जो नोट शिकायतकर्ता ने दिये थे, उन नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर वसीम अख्तर से लगवाया था। नोट ट्रीट होने के बाद शिकायतकर्ता को दिये थे। शिकायतकर्ता व वसीम के हाथ धुले थे। धोवन से दोनो शीशी अलग–अलग भरी गई थी। वस्तु प्रदर्श 1 व 2 से सम्बंधित थाने में तैयार शीशियों पर फर्द बरामदगी के सभी गवाहो के हस्ताक्षर कराये थे। शीशियों की चिटबंदी पर सभी के हस्ताक्षर कराए थे जिनका नाम फर्द प्रदर्शन में अंकित है। अभियुक्त से बरामद एक– एक हजार के पांच नोट जो अभियुक्त को रिश्वत में दिये गये थे, का नम्बर फर्द में अंकित किया गया था जो इस समय उसे याद नही है। नोंटो पर उसने हस्ताक्षर नही किये थे। इस गवाह द्वारा अभियुक्त की ओर से दिये गये इस सुझाव से इंकार किया कि पांचो धोवन की शीशियां थाने पर बैठकर एक साथ एक ही धोवन से भरी गई हो। आगे यह कथन भी किया है कि ट्रैप जांच आख्या मिलने के बाद मुख्यालय से उसके नेत्रित्व में ट्रैप टीम का आदेश प्राप्त हुआ था। दिनांक 06.08.2016 को सुबह 7 बजे कार्यालय से सहारनपुर के लिए चले थे व सहारनपुर डी०एम० आफिस में 9:30 –10 बजे पहुंच गये थे जिसके आधे घण्टे बाद डी०एम० साहब पहुंच गये थे। इखलाक भी उन्हे जिलाधिकारी कार्यालय में मिल गया था। इखलाक के साथ एक अन्य व्यक्ति नरेश भी था। फर्द प्रदर्शन की कार्यवाही में सभी शामिल थे। नरेश वहां मोजूद था पर नरेश के हस्ताक्षर फर्द प्रदर्शन पर नही कराये क्योंकि स्वतंत्र साक्षी वहां मौजूद थे। सहारनपुर से नकुड़ पहुंचने में करीब 20–25 मिनट लगे थे उस समय दिन के लगभग 12 बजे थे। थाना मुख्य बाजार में है, काफी भीड़ भाड़ वाला बाजार है, थाने के आस पास बहुत सारी दुकाने व कार्यालय बने हुए है। गाड़ी को थाने से 100 – 200 मी० की दूरी पर खड़ा किया था।

31. इस प्रकार गवाह पी०डब्लू० 4 अशोक राणा द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से फर्द ट्रीट, फर्द बरामदगी, गिरफ्तारी अभियुक्त व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार, बयान गवाह पी०डब्लू० 1 शिकायतकर्ता मौ० इखलाक, गवाहान पी०डब्लू० 2 दिनेश मिश्रा व पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार द्वारा उनकी मुख्य परीक्षा में आए तथ्यों की पुष्टि होती है। इस गवाह के प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही हुआ है जिससे उसकी मुख्य परीक्षा में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में कोई गम्भीर विरोधाभास व विसंगती उत्पन्न होती है। जहां तक यह प्रश्न है कि इस गवाह के द्वारा अपने प्रति परीक्षा में साक्षी नरेश कुमार के हस्ताक्षर फर्द ट्रीट प्रदर्श क–2 पर होने से इंकार किया है, इस सम्बंध में यह कहना उचित होगा कि इस गवाह द्वारा गवाह नरेश कुमार की मौजूदगी डी०एम० कार्यालय पर दिनांक 06.08.2016 को होने का तथ्य अपने प्रति परीक्षा मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है व गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार द्वारा फर्द ट्रीट प्रदर्श क–2 पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की है। गवाह पी०डब्लू० 4 का बयान भी कथित घटना के लगभग 6 वर्ष उपरान्त अंकित किया गया है। अतः यदि उसके द्वारा फर्द प्रदर्शन पर गवाह नरेश कुमार के हस्ताक्षर न होने का उल्लेख अपनी प्रति परीक्षा में किया है, तो मात्र उक्त विसंगति के आधार पर

समस्त ट्रैप की कार्यवाही को प्रश्नचिन्हित नही किया जा सकता है, जिससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है।

32. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि शिकायतकर्ता मौ० इखलाक के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है किन्तु अपनी प्रति परीक्षा मे उसके विपरीत कथन करने हुए अभियुक्त निर्मल कुमार द्वारा उससे कोई उत्कोच की मांग किये जाने अथवा उत्कोच द्वारा कोई धनराशि प्राप्त किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। इसी प्रकार गवाहान पी०डब्लू० 2 दिनेश चन्द्र मिश्रा व पी०डब्लू० 3 नरेश कुमार पुत्र सुमेर चन्द्र द्वारा भी अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के आधार पर उन दोनो गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया किन्तु उपरोक्त तीनो गवाहान के साक्ष्य से यह आवश्यक रूप से साबित होता है कि शिकायतकर्ता मौ० इखलाक दिनांक 04.08.2016 को गवाह नरेश कुमार पुत्र दल सिंह के साथ अभियुक्त के गांव बांदुखेड़ी गये। अगले दिन दिनांक 05.08.2016 को शिकायतकर्ता व नरेश दोनो ही एन्टीकरप्शन कार्यालय मेरठ आये व अभियुक्त द्वारा कथित उत्कोच की मांग के सम्बंध में अभियुक्त को रंगे हाथो पकड़वाये जाने के सम्बंध में एक प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता के कहने पर नरेश के द्वारा लिखवा कर दिया जिसके उपरान्त दिनांक 06.08.2016 को शिकायतकर्ता व नरेश कुमार फर्द ट्रीट व प्रदर्शन की कार्यवाही में अन्य ट्रैप टीम व स्वतंत्र गवाहान के साथ शामिल हुए जिसके बाद सभी लोग दिन में थाना नकुड़ जहां थाना दिवस आयोजित था, में पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौ० इखलाक व गवाह नरेश कुमार पुत्र दल सिंह थाने में जाकर अभियुक्त से मिले जिसके उपरान्त अभियुक्त थाने के बाहर बने खोखे के पास आया व रिश्वती नोंट लेते हुए ट्रैप टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

33. यह सही है कि धारा 7 व धारा 13(1)डी(i) व (ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में उपबंधित प्रावधान के साथ अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा उत्कोच अथवा अवैध पारितोषण की मांग व स्वीकृति को साबित करना आवश्यक है जिस समबंध में उपरोक्त गवाहान द्वारा स्पष्ट व प्रत्यक्ष साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है किन्तु इस सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधानिक पीठ द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्णय विधि **Neeraj Dutta Vs State (Govt. of N.C.T. of Delhi) 2023 (4) SCC 731** के मामले में यह महत्वपूर्ण मताभिव्यक्ति की है कि–

"In the event the complainant turns 'hostile', or has died or is unavailable to let in his evidence during trial, demand of illegal gratification can be proved by letting in the evidence of any other witness who can again let in evidence, either orally or by documentary evidence or the prosecution can prove the case by circumstantial evidence. The trial does not abate nor does it result in an order of acquittal of the accused public servant."

"In the absence of evidence of the complainant (direct/primary, oral/documentary evidence) it is permissible to draw an inferential deduction of culpability/guilt of a public servant under Section 7 and Section 13(1) (d) read with Section 13(2) of the Act based on other evidence adduced by the prosecution."

34. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के मतानुसार यदि शिकायतकर्ता पक्षद्रोही हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा किसी अन्य कारण वश उसका साक्ष्य

दौरान विचारण न्यायालय में अंकित नही हो सका है तब ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अवैध पारितोषण की मांग को किसी अन्य साक्षी के माध्यम से भी साबित करा सकता है फिर चाहे वह मौखिक अथवा प्रलेखिक साक्ष्य पर आधारित हो अथवा परिस्थितिजन साक्ष्य पर किन्तु विचारण की कार्यवाही उपशमित नही होती है न ही इसका प्रभाव लोक सेवक की दोषमुक्ति का होता है। अतः शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर निकाला जा सकता है।

35. उपरोक्त सम्बंध में इस न्यायालय द्वारा साक्षीगण पी०डब्लू० 4 अशोक राणा व पी०डब्लू 5 नरेश कुमार के द्वारा साक्ष्य के विश्लेषण उपरान्त उपरोक्त परिचर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि उपरोक्त दोनो गवाहान द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से साबित किया है व प्रलेखीय साक्ष्य की भी पुष्टि की है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से उत्कोच की मांग के सम्बंध में स्पष्ट साक्ष्य न दिये जाने पर भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा 7 व धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) के अन्तर्गत दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना तर्कसंगत व न्यायसंगत है।

36. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह आपत्ति भी उठायी गयी है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 के अनुसार जब शिकायतकर्ता व ट्रैप टीम के सभी सदस्य थाने के गेट के पास अभियुक्त को ट्रैप किये जाने से पूर्व खोखे के पास खड़े हो गये व शिकायतकर्ता व उसका मित्र एक व्यक्ति के साथ थाने के गेट के पास आये तो शिकायतकर्ता ने आगंतुक से अपनी कृषि भूमि जो NH 73 के बाईपास के चौडीकरण में आई थी, पर मुआवजा दिलवाने का अनुरोध किया **तो आगंतुक ने कहा की वायदे के अनुसार 5,000/– रूपये रिश्वत के लाए हो, तब शिकायतकर्ता ने ट्रीटेट 5,000/– रूपये आगंतुक को दिये** व आगंतुक रिश्वत के ट्रीटेड नोट लेकर गिनने लगा। यह विश्वास होने पर की अभियुक्त ने रिश्वत ले लिये है उसे दबिश देकर खोखे के सामने समय दिन के 12.45 बजे पकड़ लिया। फर्द बरामदगी में उल्लिखित उपरोक्त तथ्य की पुष्टि वादी मुकदमा व ट्रैप टीम इन्चार्ज अशोक राणा ने अपने साक्ष्य में भी की है किन्तु गवाह पी०डब्लू० 5 नरेश कुमार के साक्ष्य के अनुसार उसके द्वारा शिकायतकर्ता इखलाक के साथ थाने में अन्दर जाने पर पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता से कहा कि रिश्वत के जिन रुपयों का वायदा किया था वह पैसे ले लो जिस पर पटवारी ने कहा कि बाहर जो खोखा है वही आ रहा हूं। उनके पीछे–पीछे पटवारी वहां खोखे के पास आ गया व इखलाक ने उसके सामने अपने कुर्ते की जेब से 5,000/– रूपये निकालकर पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता को दिये। निर्मल कुमार गुप्ता ने उन पैसो को गिनकर अपनी जेब में डाल लिये। उक्त आधार पर फर्द बरामदगी व उपरोक्त गवाहान के साक्ष्य में विरोधाभास की स्थिति है जिस कारण अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

37. उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध पर्द बरामदगी प्रदर्श क –3 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से किया गया उपरोक्त तर्क इस हद तक सही है कि फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता से कथित उत्कोच की मांग थाना नकुड़ के बाहर बने खोखे के पास की गई किन्तु गवाह पी०डब्लू० 4 वादी मुकदमा अशोक राणा के द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है "कि शिकायतकर्ता व उसका मित्र थाने पर जहां थाना दिवस आयोजन था वहा हम अपनी मौजूदगी छिपाते हुए खड़े हुए, कुछ समय बाद शिकायतकर्ता व उसका साथी नरेश व एक अन्य व्यक्ति थाने गेट पर आये... ... ... **तभी हम लोगो के सामने शिकायतकर्ता ने मुआवजे कि रिपोर्ट देने के लिए**

अनुरोध करते हुए ट्रीटेड नोट तीसरे व्यक्ति को दे दिये जो नोट लेकर गिनने लगा।" इस प्रकार गवाह पी०डब्लू० 4 द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से यह नही कहा जा सकता कि उसके सामने अभियुक्त के द्वारा शिकायतकर्ता से उसके वायदे के अनुसार 5,000/– रूपये रिश्वत लाने की बात कही गई थी। अतः अभियुक्त द्वारा उत्कोच की मांग के सम्बंध में इस गवाह द्वारा भी कोई स्पष्ट साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में नही किया है किन्तु मात्र उक्त कथन के आधार पर इस गवाह के सम्पूर्ण साक्ष्य को तिरस्कृत नही किया जा सकता है। "एक में झूठ सब में झूठ" जैसा कोई सिद्धांत भारतीय न्याय पद्वति का अंश नही है व जब तक न्यायालय भूसे से गेहूं अलग कर सकता है तब तक न्यायालय द्वारा ऐसे गवाह के बयानों की विश्वसनीयता को स्वीकार किया जाना चाहिए। अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता इखलाक से कथित उत्कोच की मांग किये जाने के सम्बंध में शिकायतकर्ता के साथ उस समय मौके पर मौजूद गवाह नरेश कुमार के द्वारा अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में थाना नकुड़ के अन्दर जाने पर अभियुक्त द्वारा कथित उत्कोच की मांग किये जाने के सम्बंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता पी०डब्लू० 1 मौ० इखलाक की मुख्य परीक्षा से भी होती है। अपनी मुख्य परीक्षा में शिकायतकर्ता द्वारा यह कथन किया है कि "फिर मै ट्रैप टीम के साथ व नरेश को लेकर नकुड, थाना दिवस पर पहुंचे थे। जीप को थाने से काफी दूर पहले खड़ा कर दिया था, फिर मैं व मेरा साथी नरेश पटवारी निर्मल कुमार गुप्ता के पास गये और उससे कहा कि हमारा काम कर दो, तो उसने कहा कि 5,000/– रूपये रिश्वत के लाए हो क्या तो हमने हां कर दी तो लेखपाल हमें लेकर सड़क पर थाने के गेट के पास लकड़ी के खोखे के पास आ गया।" अतः यह निर्विवाद है कि थाने के अन्दर थाना दिवस पर अभियुक्त द्वारा कथित घटना के समय शिकायतकर्ता व नरेश के समक्ष की गई अवैध पारितोषण की मांग ट्रैप टीम के सदस्य अथवा उनके साथ मौजूद स्वतंत्र गवाहान द्वारा साबित नही की जा सकती है व कथित मांग के सम्बंध में स्वयं शिकायतकर्ता मौ० इखलाक व उसके साथ मौजूद गवाह नरेश कुमार ही कथित मांग की सर्वोत्तम साक्षी हो सकते थे जिनके द्वारा अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि की गई है।

38. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं समीक्षा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988** को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से साबित है कि अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा लोक सेवक के रूप में पदीय कार्य करने के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त कर आपराधिक अवचार का अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता **धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को धारा धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त इस

मामले में पूर्व से जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड की मात्रा के सम्बंध में सुनवाई हेतु पत्रावली भोजनावकाश के बाद पेश हो।

दिनांक: 04.07.2026

(अजय कुमार – I)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधि०
(V.B.U.P.S.E.B)/अपर सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

भोजनावकाश उपरान्त वाद पुनः पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक दण्ड की मात्रा के सम्बंध में सुनवाई हेतु उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया है कि अभियुक्त का कार्यकाल एक ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ लोक सेवक का रहा है। अभियुक्त का इससे पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नही है और यह पहला अवसर है जब उसे किसी कानूनी विवाद का सामना करना पड़ रहा है। अभियुक्त ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभियुक्त को कम से कम सजा दी जाए तो वह अपने जीवन को सुधारने का पुनः प्रयास करेगा। अतः अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त के प्रति उदारता एवं सहानुभूति दर्शाते हुए कम से कम दण्ड दिया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया है कि अभियुक्त लेखपाल जैसे जिम्मेदार पद पर नियुक्त है किन्तु उसके द्वारा शिकायतकर्ता से उसके वैध कार्य हेतु उत्कोच/रिश्वत की मांग की गई जिसे स्वीकार करते हुए वह रंगे हाथों थाना नकुड़ के सामने गिरफ्तार किया गया। उसके विरूद्ध भ्रष्टाचार जैसे अत्यन्त गम्भीर आरोप प्रमाणित हुए है। इस कारण वह किसी सहानुभूति का पात्र नही है व अभियुक्त को अधिकतम सजा से दण्डित किया जाए।

अतः पत्रावली के अवलोकन, अपराध की गम्भीरता तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में इस न्यायालय के विचार में अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को निम्न प्रकार से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी।

<u>आदेश</u>

1– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को धारा–13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप के लिये छः वर्ष के साधारण कारावास एवं रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। यह अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को उसके विरूद्ध लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है।

3– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता धारा 428 दं०प्र०सं० का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अभियुक्त द्वारा दौरान विवेचना व विचारण जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

4– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता द्वारा अपील किये जाने की स्थिति में वस्तु प्रदर्शों का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार किया जाये। अपील न किये जाने की स्थिति में इस प्रकरण से सम्बन्धित माल मुकदमा, नोट बाद गुजरने मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किये जायें तथा घोल की शीशियों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाये।

5– इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये एवं धारा 365 दं०प्र०सं०के आलोक में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट जनपद–(मेरठ) को प्रेषित की जाये।

6– अभियुक्त निर्मल कुमार गुप्ता का सजायवी अधिपत्र तैयार कर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार मेरठ प्रेषित किया जाये एवं पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत की जाये।

दिनांक: 04.07.2026

(अजय कुमार – ।)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधि०
(V.B.U.P.S.E.B)/अपर सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 04.07.2026

(अजय कुमार – ।)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधि०
(V.B.U.P.S.E.B)/अपर सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.07.04 17:22:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut